वार्षिक 300/- रूपए
website : www.vhp.org

मूल्य 15 रूपए
कुल पृष्ठ - 28

राष्ट्रीय पुनर्जागरण का पाक्षिक
दिसम्बर 16-31, 2025

हिन्दू विश्व

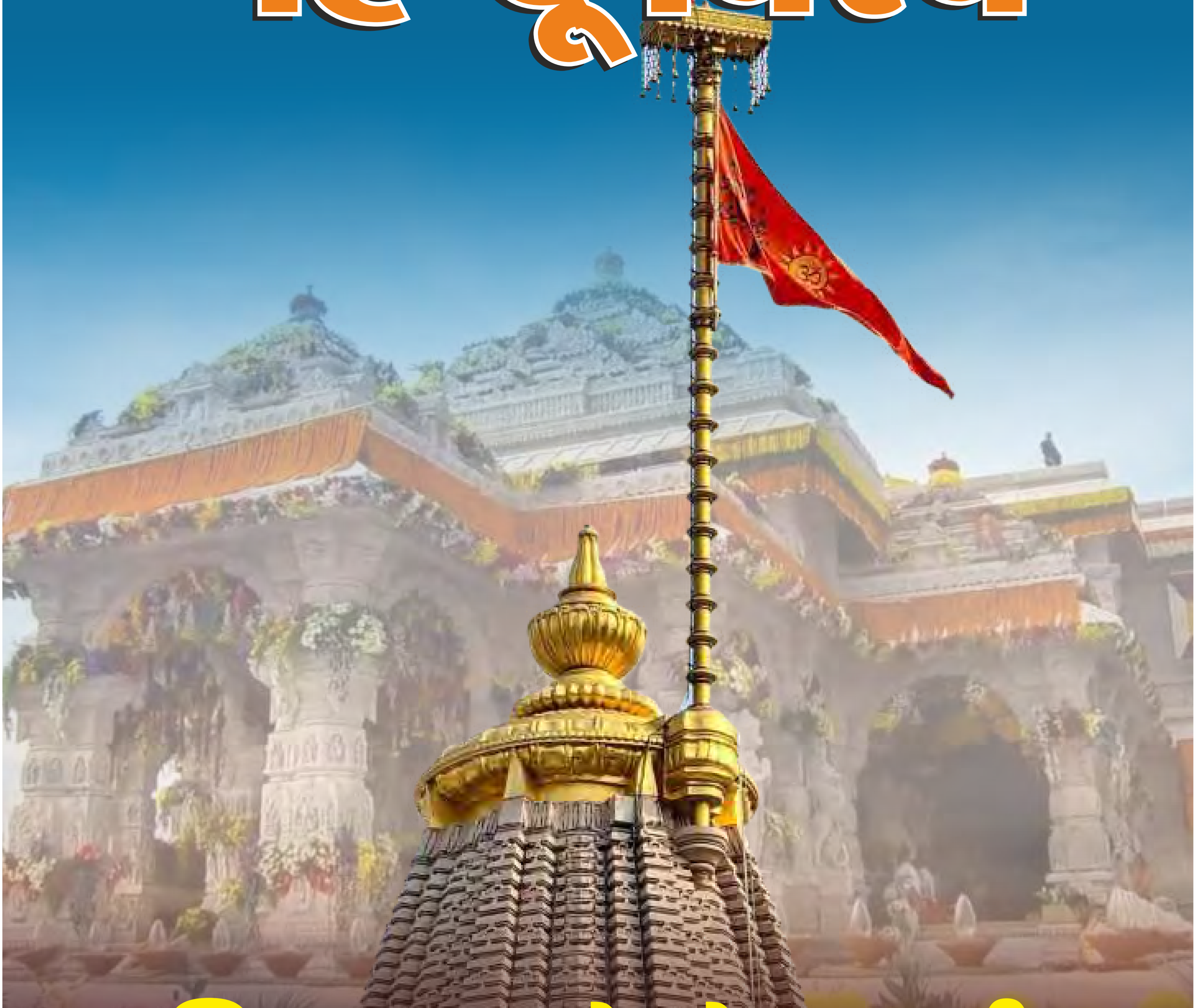

शिखर समारोह के साथ ही
रामकाज पूर्ण हुआ

बक्करवाला दिल्ली में पूज्य सुधांशु जी महाराज के आश्रम में आयोजित विहिप अ.भा. सोशल मीडिया के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण वर्ग को संबोधित करते विहिप अध्यक्ष आलोक कुमार जी एवं कार्यशाला में उपस्थित पूज्य सुधांशु जी महाराज तथा प्रचार विभाग के कार्यकर्ता

गुरुद्धारा गोविंद धाम, थलतेज-गुजरात में गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस पर आयोजित संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते विहिप सह संगठन महामंत्री श्री विनायकराव देशपाण्डे

न्यू इंग्लिश स्कूल, रमणबाग, शनिवार पेठ पुणे (महा.) में पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत द्वारा आयोजित सेवा कुंभ-2025 को संबोधित करते विहिप केद्रीय सहमंत्री तथा केंद्रीय सह सेवा प्रमुख स्वप्न कुमार मुखर्जी तथा कार्यक्रम में उपस्थित कार्यकर्तागण

'विश्व हिन्दू परिषद श्रीगंगानगर द्वारा गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस पर पावन समागम का आयोजन'

हिन्दू विश्व

राष्ट्रीय पुनर्जागरण का पाक्षिक

16-31 दिसम्बर, 2025
पौष कृष्ण - शुक्ल पक्ष
पिंगल संवत्सर
वि. सं. - 2082, युगाब्द- 5127

सम्पादक
विजय शंकर तिवारी

सह सम्पादक
मुरारी शरण शुक्ल
मो. - 7217685539

परामर्शदाता
सर्वश्री राजेन्द्र शर्मा,
विजय कुमार,
रवि पराशर

व्यवस्थापक
श्री दूधनाथ शुक्ल
मो. - 09582555152

सज्जा
श्री महेश कुशवाहा

कार्यालय :
'हिन्दू विश्व'
संकटमोचन आश्रम, प्रभाग - 6
रामकृष्णपुरम्,
नई दिल्ली-110022-05
दूरभाष : 09582555152

011-26178992, 011-26103495
hinduvishwa@gmail.com

- : मूल्य :-

विदेशों के लिए	$ 75 USD
वार्षिक डाक व्यय सहित	
एक प्रति	15/-
वार्षिक	300/-
त्रिवर्षीय	750/-
पंचवर्षीय	1,200/-
दसवर्षीय	2,250/-
पन्द्रह वर्षीय	3,100/-

पत्रिका की सदस्यता हेतु क्यूआर कोड स्कैन करें, उसका स्क्रीन शॉट और अपना पता व्यवस्थापक को 9582555152 नम्बर पर भेजें।

वैधानिक सूचना

- 'हिन्दू विश्व' में प्रकाशित सामग्री लेखकों के निजी विचार हैं। सम्पादक एवं प्रकाशक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
- 'हिन्दू विश्व' से सम्बन्धित सभी वाद प्रकाशन तिथि से 3 महीने के अन्दर केवल नई दिल्ली स्थित न्यायालय में होंगे।

कुल पेज - 28

यह अभिलाषामयी रात्रि गजसमूह, सिंह, हरिन, गेंडा तथा बाघ आदि पशुओं की क्षमताओं को (तेजस्विता को) ग्रहण कर लेती है। अश्व की स्वाभाविक गति और मनुष्यों की वाक्शक्ति को भी अपने वश में करती है। इस प्रकार स्वयं विशेष रूप से चमकती हुई रात्रि विभिन्न स्वरूपों में दिखाई देती है। - अथर्ववेद

श्री राम जन्मभूमि मंदिर	06
श्रीराम जन्मभूमि धर्म ध्वजारोहण और इसका राष्ट्र के लिए महत्व	08
ममता एसआईआर के विरोध के नाम पर दे रही है घुसपैठियों का साथ	11
श्रीराम मन्दिर ध्वजारोहण पर पाकिस्तान की बौखलाहट	12
अनुकरण नहीं आत्मनिर्माण : स्वामी श्रद्धानन्द की आधुनिकता विमर्श की दृष्टि	14
भारत में धर्मांतरण निषेध कानून पृष्ठभूमि और आवश्यकता	17
शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन शाखा का दंडपाठ (दंडक्रम) पारायण	19
सर्दियों के आहार में शामिल करने योग्य खाद्य पदार्थ	21
केन्द्रीय सोशल मीडिया प्रशिक्षण वर्ग सम्पन्न	22
गुरु तेग बहादुर जी बलिदान दिवस पर संवाद कार्यक्रम	23
विहिप उत्तराखण्ड के सेवा विभाग द्वारा आयोजित सेवा कुंभ का समापन कार्यक्रम	24
हिंदू समाज के ह्रदय में सेवा भाव : स्वपन कुमार मुखर्जी'	25
आतंक के सरगना बनने की होड़ लगी है मदनियों में सर्वोच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान ले : डॉ. सुरेन्द्र जैन	26

सुभाषित

नीतिज्ञा नियतिज्ञा वेदज्ञा अपि भवन्ति शास्त्रज्ञाः।
ब्रह्मज्ञा अपि लभ्या स्वाज्ञानज्ञानिनो विरलाः।।

नीति, भाग्य, वेद–शास्त्र यहाँ तक कि ब्रह्मज्ञान को भी जानने वाले बहुत मिलेंगे, पर अपने अज्ञान को जानने वाले बहुत बिरले ही मिलते हैं।

सम्पादकीय

विजय शंकर तिवारी

मंदिरों का धन केवल मंदिरों के लिए

अब न्याय होगा

भारत की सभ्यता का मेरुदंड सदियों से उसके मंदिर रहे हैं – आस्था, संस्कृति, धर्म, सेवा और सामाजिक ज़िम्मेदारी के केंद्र। मंदिर केवल पूजा–स्थल नहीं, बल्कि सामाजिक संस्था रही है, जिसमें भक्तों ने अपनी श्रद्धा, श्रद्धांजलि, भोग, दान आदि दिये। पर आज, अनेक राज्य सरकारों ने इन मंदिरों को सिर्फ धार्मिक संस्था न मानकर सार्वजनिक निधि जैसा बना दिया; मंदिरों की संपत्ति और आय को सरकारी कोष में जोड़ दिया गया, और प्रायः मंदिरों की मरम्मत, सेवा, पुजारियों की देखभाल की बजाए अन्य कामों में खर्च कर दिया गया। अब न्यायालयों ने इस अन्याय पर निर्णय सुनाना शुरू कर दिया है – और उनका रुझान स्पष्ट है : मंदिर का धन मंदिरों के लिए, भक्तों के लिए, ही होना चाहिए।

29 अगस्त 2025 को मदुरै बेंच की पीठ ने तमिलनाडु सरकार द्वारा जारी 5 सरकारी आदेशों को निरस्त कर दिया, जिनके तहत मंदिर निधि से विवाह–हॉल बनाने की योजना थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मंदिरों को दान देने वाले भक्तों ने संपत्ति और धन उन्हें सिर्फ धार्मिक/आचार उद्देश्यों के लिए दिए हैं – न कि किसी वाणिज्यिक या व्यावसायिक उद्यम के लिए। न्यायालय ने कहा कि मंदिर फंड्स सरकार या सार्वजनिक खजाने का हिस्सा नहीं हो सकते। वे उन "देवता" के लिए समर्पित हैं – देवता ही कानूनी मालिक माने जाते हैं। अतः धार्मिक समारोह, पुजा–पाठ, मंदिर की मरम्मत, विकास, भक्तों की सेवा, धर्म–संस्कृति आदि ही उचित उपयोग हैं। इस फैसले में यह भी कहा गया कि विवाह अपने आप में "धार्मिक उद्देश्य" नहीं माना जा सकता, यदि वह केवल वाणिज्यिक/किराया –आधारित हॉल हो।

14 अक्टूबर 2025 को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि हिंदू मंदिरों को दिये गये दान – चाहे चंदा हो या अन्य तरह की निधि – को किसी सरकारी योजना, लोक–कल्याण कार्यक्रम या सार्वजनिक काम के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक रुपया मंदिर फंड का – केवल मंदिर के धार्मिक या धर्माधारित दान–कार्य या परोपकारी कार्यों हेतु होना चाहिए। इसके साथ ही, न्यायालय ने आदेश दिया कि मंदिरों को अपनी मासिक आय– व्यय, परियोजनाओं व दानों का लेखा–जोखा सार्वजनिक रूप से – सूचना पट्ट या वेबसाइट पर – प्रकाशित करना चाहिए। ताकि भक्तों को भरोसा हो कि उनकी श्रद्धा का सही उपयोग हो रहा है। और यदि कोई प्रशासनिक या ट्रस्टी दुरुपयोग करता पाया जाता है – तो उससे रकम वसूल की जाए और उसे व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह माना जाए। हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की उस विशेष याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स उठाने की अनुमति मांगी गई थी, जो कि मंदिरों की जमीन और फंड से बनाए जाने थे। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जो मंदिर फंडों के वाणिज्यिक उपयोग को अवैध मानता था। इस निर्णय का मतलब साफ है – मंदिरों की आय और संपत्ति भक्तों की आस्था का परिणाम है; इसे सरकार या किसी निजी व्यावसायिक संस्था की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

इसका महत्व धार्मिक स्वतंत्रता : भक्तों का दान दर्शन या पूजा–पद्धति के लिए है – न कि राज्य–निर्मित वाणिज्यिक परियोजनाओं हेतु। अदालतों ने इस मूल भावना को मान्यता दी। जब मंदिर का आय–व्यय, दान–उपयोग जनता के सामने खुला होगा, तब भक्तों का भरोसा बढ़ेगा। यह भ्रष्टाचार, दुरुपयोग व राजकीय हस्तक्षेप से बचाने का मार्ग है।

संविधान और धर्मनिरपेक्षता के मूल सिद्धांत : भारत धर्मनिरपेक्ष है, पर इसका मतलब यह नहीं कि राज्य किसी धर्म की संस्थाओं के दान–संपत्ति को सार्वजनिक खजाने की तरह ले। सुप्रीम कोर्ट का आदेश इस संवैधानिक संतुलन को मजबूत करता है। मंदिरों का पुनरुद्धार : अब जब फंड मंदिरों के पास ही रहेगा, मंदिरों की मरम्मत, पुजारियों का सम्मान, धार्मिक–सांस्कृतिक कार्यक्रम, भक्त कल्याण, धर्म–शिक्षा आदि बेहतर हो सकेंगे। अब यह समय है जब हम सिर्फ मांग न करें, बल्कि कानून, न्याय और धर्म के अनुरूप व्यवस्था बनवाएँ। न्यायालयों की स्पष्ट राय इस दिशा में है – मंदिर निधि को मंदिर व भक्तों के लिए सुरक्षित रखा जाए, व्यावसायिक व सरकारी उपयोग बंद हो। यह न केवल धार्मिक मांग है, बल्कि संवैधानिक, सामाजिक और नैतिक दायित्व भी है।

भक्तों का दान दर्शन या पूजा–पद्धति के लिए है – न कि राज्य–निर्मित वाणिज्यिक परियोजनाओं हेतु। अदालतों ने इस मूल भावना को मान्यता दी। जब मंदिर का आय–व्यय, दान– उपयोग जनता के सामने खुला होगा, तब भक्तों का भरोसा बढ़ेगा। यह भ्रष्टाचार, दुरुपयोग व राजकीय हस्तक्षेप से बचाने का मार्ग है।

शिखर ध्वजारोहण समारोह

श्री राम जन्मभूमि मंदिर, अयोध्या

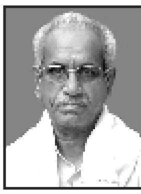

चंपत राय
महामंत्री श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र

ध्वज का रंग आकृति एवं प्रतीक चिह्न किसी भी देश अथवा समाज के प्रतीक होते हैं, उदाहरणार्थ यूनियन–जैक ब्रिटेन की राज्य सत्ता का प्रतीक था और आज भी है, जबकि तिरंगा झण्डा भारत की राजनीतिक संप्रभुता का प्रतीक है, इसी कारण 15 अगस्त 1947 को विदेशी राज्य सत्ता का प्रतीक उतारा गया और तिरंगा झण्डा आरोहित किया गया।

महाभारत में वर्णन है कि भगवान कृष्ण के रथ पर हनुमान अंकित पताका लहराती थी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर चढ़ाया जाने वाला ध्वज केसरिया रंग का है, अग्नि की ज्वालाएँ और प्रातःकाल के सूर्य की किरणें केसरिया रंग की होती है, भारत में केसरिया रंग त्याग का प्रतीक है, यह ध्वज ऊँचाई में 10 फीट ऊँचा और 20 फीट लंबा है, समकोण त्रिकोण आकृति का है। ध्वज पर सूर्य अंकित है, भगवान राम का जन्म सूर्य वंश में हुआ है, सूर्य के मध्य में ऊँ अंकित है, ऊँ परमात्मा के मुख से सृजित प्रथम अक्षर है, ध्वज पर कोविदार वृक्ष अंकित है, कोविदार वृक्ष महाराजा दशरथ के राज्य का प्रतीक था, वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन है, भरत जब राम से भेंट करने के लिए चित्रकूट गए, तो लक्ष्मण ने रथ पर लगे ध्वज को देखकर प्रभु राम को बताया था कि यह तो हमारे ही राज्य का ध्वज है, शायद भरत आ रहे हैं।

इस प्रकार राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर, 25 नवम्बर 2025 (राम विवाह पंचमी) को चढ़ाया जाने वाला ध्वज राम राज्य की वापसी और भारत की एकात्मता का प्रतीक है, ध्वज भूमि से 191 फीट ऊँचाई तक पहुँचाया गया, यह कार्य भारतीय सेना के माध्यम से सम्पन्न हुआ, भारत में भूमि से 191 फीट ऊँचाई तक ध्वज को पहुँचाने का यह प्रथम प्रसंग है।

श्री राम जन्मभूमि मंदिर

श्री राम जन्मभूमि मंदिर भारत के गौरव का प्रतीक है। ईस्वी 1528 में विदेशी आक्रमणकारी द्वारा तोड़े गए मंदिर का पुनर्निर्माण अथवा भारत के अपमान का परिमार्जन है। भारत की एकात्मता का दर्शन कराता है, मंदिर उत्तर भारतीय नागर शैली में बना है तथा मंदिर के चारों ओर बनाया गया आयताकार परकोटा (लंबाई 800 मीटर अनुमानित) दक्षिण भारतीय मंदिर निर्माण शैली का अंग है। केरल में जन्में आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य जी द्वारा दी गई पंचायतन मंदिर योजना यहाँ लागू की गई, पंचायतन अथवा विष्णु, शंकर, गणेश, सूर्य एवं भगवती के मंदिर एक साथ यहाँ बने हैं, यहाँ विष्णु पंचायत है, राम विष्णु के अवतार हैं।

चार प्रवेश द्वार बनाए हैं – जगद्गुरु रामानंदाचार्य द्वार, जगद्गुरु मध्वाचार्य द्वार, जगद्गुरु शंकराचार्य द्वार एवं जगद्गुरु रामानुजाचार्य द्वार, सबके प्रति एकात्म दृष्टि का प्रतीक है। महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वाल्मीकि, माता अहिल्या, निषादराज, माता शबरी, संत तुलसीदास के मन्दिर सामाजिक समरसता का प्रतीक है। जटायु और गिलहरी का निर्माण ब्रान्ज मिश्रधातु से हुआ है, दोनों का जीवन सर्वसामान्य के लिए प्रेरणादायी है। मन्दिर निर्माण शैली में भूकंप से रक्षा, अति वृष्टि के कारण मिट्टी का कटान एवं सरयू में बाढ़ आने की स्थिति में पानी के आक्रमण से मन्दिर की रक्षा का विचार यहाँ किया गया है। नगर निगम के निवासियों को मन्दिर निर्माण के कारण कोई असुविधा ना हो, यह विचार किया गया है, उदाहरणार्थ परिसर में दो मलशोधन संयंत्र, दो जलशोधन संयंत्र, तीस स्थानों पर वर्षाजल संचयन की रचना की गई है, जल भूमि से लिया गया है, वृक्षों की रक्षा की गई है, और अधिक वृक्ष लगाए जा रहे हैं, अर्थात पर्यावरण संरक्षण का विचार हुआ है। तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखा गया है, अत्यधिक धूप, वर्षा एवं शीत से रक्षा के लिए प्रवेश मार्ग एवं निकास मार्ग पर स्थायी रूप से छतरी (Canopy) लगाई गई है।

मोबाईल, जूता एवं अन्य सामान सुरक्षित रखने के लिए लाकर, परिसर के भीतर एवं परिसर के बाहर दोनों स्थानों पर यात्रियों को बैठकर थकान दूर करने के लिए कुर्सियाँ, शुद्ध पेय जल, शौचालय, लघुशंकालय, सामान्य चिकित्सा सेवा, व्हीलचेयर, छोटे बच्चों को माता दूध पिला सके, ये सभी व्यवस्थाएँ की गई हैं, दियांग जनों के लिए रैम्प और लिफ्ट की व्यवस्था है। प्रसाद वितरण सहित सभी सुविधाएँ निशुल्क हैं। मन्दिर निर्माण में सम्पूर्ण भारत की सहभागिता है, निर्माण सामग्री छतरपुर (मध्यप्रदेश), जालोन हमीरपुर (उत्तर प्रदेश) से मंगाई गई है, मन्दिर का प्लिन्थ ऊँचा करने के लिए ग्रेनाइट पत्थर तेलंगाना और कर्नाटक से आया है, मन्दिर में लगा हल्के गुलाबी रंग का बलुआ पत्थर भरतपुर (राजस्थान) से आया है, सफेद मार्बल मकराना (राजस्थान) तथा कुछ मार्बल अंबाजी (गुजरात) से आया है, पत्थर एवं मार्बल में नक्काशी करने वाले कारीगर भी राजस्थान के ही हैं, मन्दिर में पत्थरों पर देवी–देवताओं की मूर्तियाँ उकेरने वाले कारीगर उड़ीसा के हैं।

सभी मंदिरों के शिखर पर लगाए गए ध्वजदंड गुजरात में तथा फहराने वाले ध्वज कानपुर की आयुध निर्माणी में बने हैं। मंदिर के दरवाजों में लगी लकड़ी बल्लबरशाह (महाराष्ट्र) से आई है, तथा लकड़ी की नक्काशी करने वाले कारीगर कन्याकुमारी एवं राजस्थान से

हैं। मंदिर भूतल के दरवाजों पर, शिखरों पर, रामलला के आसन पर दिखाई देने वाला स्वर्ण मुंबई के एक दानदाता द्वारा प्राप्त किया गया है। भगवान के स्वर्ण आभूषण लखनऊ और सूरत में बने हैं, रामलला के वस्त्र दिल्ली के एक वस्त्र डिजाइनर ने बनाए हैं। वानरों से रोकथाम के लिए मन्दिर में लगाई गई जालियाँ टाइटेनियम मिश्रधातु से बनी हैं, इस मिश्रधातु का उपयोग करने का अधिकार केवल सुरक्षा मंत्रालय को है।

सभी प्रतिमाओं का निर्माण जयपुर में हुआ है तथा शिवलिंग मध्यप्रदेश के बकावन ग्राम से लाया गया है। प्रभु श्री राम के 87 जीवन प्रसंग पत्थरों में नक्काशी करके मुख्य मन्दिर के चारों ओर बाहर की दीवारों पर लगाए गए हैं, सभी प्रसंग वाल्मीकि रामायण पर आधारित हैं तथा भारतीय सँस्कृति के 79 प्रसंग ब्रान्ज धातु से बनाकर परकोटा की दीवारों पर लगाए गए, इन प्रसंगों का वर्णन पढ़ कर किसी भी जिजासु को भगवान राम के जीवन एवं भारतीय सँस्कृति की जानकारी हो जाएगी। परिसर में 10 एकड़ भूखंड पर पंचवटी निर्माण की जा रही है। मन्दिर के अतिरिक्त अन्य भवनों में, कान्क्रीट में लगाया गया लोहा भिलाई (छतीसगढ़) स्टील प्लांट से आया है। मन्दिर निर्माण में फर्श ऊंचा करने के लिए लगभग 6.72 लाख घनफुट ग्रेनाइट तथा मन्दिर, परकोटा, शेषवतार मन्दिर, सप्त–ऋषि मन्दिर, तुलसीदास मन्दिर निर्माण में 14 लाख 15 हजार घनफुट बलुआ पत्थर तथा लगभग 14000 घनफुट सफेद मकराना मार्बल का प्रयोग किया गया है, इसके अतिरिक्त फर्श पर भी पत्थर का प्रयोग किया गया है, इतनी अधिक मात्रा में पत्थर का उपयोग करके मन्दिर का निर्माण सम्भवतः विगत पाँच सौ वर्षों में भारत में नहीं हुआ होगा, यह भी इस मन्दिर की विशेषता है।

रामलता और राम परिवार की मूर्तियों से अलग लगभग एक हजार अतिरिक्त मूर्तियाँ स्थापित की गई है, मन्दिर के स्तम्भ और छतों पर लगभग 3000 मूर्तियाँ उकेरी गई हैं, पत्थरों पर लगभग 7000 डिजाइन, पत्थर अपने स्थान पर लगा देने के बाद हाथ से बनाए गए हैं, ये मूर्तियाँ और डिजाइन

रामायण व अन्य साँस्कृतिक प्रसंगों को दर्शाते हैं, मन्दिर की मूर्तिकला भारतीय शिल्पकला की उत्कृष्ट परंपरा को अभिव्यक्त करती है। मंदिर निर्माण में भारत की ख्यातिनाम निर्माता कंपनियाँ लार्सन एण्ड टूब्रो तथा टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स सलाहकार रूप में जुड़े हैं, भारत के ख्यातिनाम चित्रकार, मूर्तिकारों का सक्रिय योगदान है। मंदिर निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका श्री नृपेन्द्र मिश्र जी (सेवा निवृत्त, आईएएस अधिकारी तथा माननीय प्रधानमंत्री जी के पूर्व प्रमुख सचिव एवं वर्तमान में मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष) एवं नृपेन्द्र मिश्र जी के सहयोगी, मंदिर निर्माण समिति के सदस्य तथा नेशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के पूर्व अध्यक्ष श्री अनूप मित्तल जी की है।

आवश्यकता अनुसार आई.आई.टी दिल्ली के सेवा निवृत्त निदेशक, आई.आई.टी गुवाहाटी के तत्कालीन निदेशक, एन.आई.टी सूरत के तत्कालीन निदेशक, सी.बी.आर.आइ के तत्कालीन निदेशक, आई.आई.टी दिल्ली, आई.आई.टी मुंबई, आई.आई.टी कानपुर एवं आई.आई.टी मद्रास के स्ट्रक्चर इंजीनियर तथा एन.जी.आर.आई हैदराबाद के तत्कालीन निदेशक की सेवाएँ प्राप्त की गई, इन्हीं के परामर्श के आधार पर मन्दिर की नींव का निर्माण हुआ है।

मकर संक्रांति 2021 से संत रविदास जयंती 2021 तक, 42 दिन का निधि–सम्पर्ण संग्रह अभियान चलाया गया था, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नैशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा की सम्पूर्ण भारत की लगभग 25 हजार बैंक शाखाओं के माध्यम से संग्रहीत धन अयोध्या स्थित बैंक शाखाओं में स्थानांतरित हुआ है, अनुमान है कि भारत के दस करोड़ व्यक्तियों ने धन समर्पण किया है, इस समर्पण को लगभग दो लाख कार्यकर्ताओं ने एकत्र किया तथा 38 हजार सेवाभावी कार्यकर्ताओं के माध्यम से स्थानीय बैंक शाखाओं में जमा किया गया, भारत के इतिहास का अथवा सम्पूर्ण विश्व का यह प्रथम निधि समर्पण अभियान है, जो स्वेच्छा से किया गया। श्री राम जन्मभूमि मन्दिर का निर्माण सम्पूर्ण भारत के सहयोग से हुआ है।

श्रीराम जन्मभूमि

धर्म ध्वजारोहण और इसका राष्ट्र के लिए महत्व

डॉ. वरुण कुमार

आज जब अयोध्यापुरी के नवनिर्मित शिखर पर सदियों के संघर्ष, अनगिनत बलिदानों और अटूट संकल्प की पूर्णाहुति के रूप में धर्म ध्वजारोहण संपन्न हो चुका है, तो यह केवल एक मंदिर के कलश पर पताका फहराना नहीं है–यह भारतीय राष्ट्र की आत्मा के पुनर्जागरण की, उसके शाश्वत धर्म के विजय की और उसकी अखंड साँस्कृतिक चेतना की उद्‌घोषणा है। 25 नवंबर 2025 को अभिजीत मुहूर्त में संपन्न इस पावन आयोजन ने न केवल धार्मिक उत्साह का वातावरण रचा, अपितु आध्यात्मिक, ज्योतिषीय और राष्ट्रीय स्तर पर एक नई चेतना का संचार किया। यह वह क्षण है, जिसकी प्रतीक्षा में पीढ़ियों ने स्वयं को होम किया, जहाँ 'जय श्री राम' का उद्‌घोष मात्र नारा न रहकर स्वाभिमान, न्याय और राष्ट्र–धर्म का पर्याय बन गया है।

नींव और पृष्ठभूमि (ऐतिहासिक और आध्यात्मिक)

'सुमिरि पवनसुत पावन नामू।
आपु सहित करिहहिं सब कामू।।'
– रामचरितमानस (सुंदरकांड)

राम, भारत की सनातन सँस्कृति के प्राण हैं – धर्म, न्याय, त्याग और सुशासन की सर्वोच्च मानवीय संकल्पना। उनकी लीला–भूमि अयोध्या, जिसका अर्थ है 'जिसे युद्ध द्वारा जीता न जा सके', स्वयं में एक अखंड आध्यात्मिक किला है। ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित यह नगरी, सूर्यवंश के तेज का केंद्र रही है और राम मंदिर का गर्भगृह वह पवित्र बिंदु है, जहाँ भूगोल, खगोल और इतिहास का त्रिवेणी संगम होता है। परंतु इस गौरवशाली यात्रा में दुःखद अध्याय तब जुड़ा, जब लगभग 1528 ईस्वी में मुगल आक्रांता बाबर के सेनापति मीर बांकी ने क्रूरता का प्रदर्शन करते हुए भव्य राम मंदिर को ध्वस्त कर दिया। विध्वंस का उद्देश्य केवल एक इमारत गिराना नहीं था, यह भारतीयों की सामूहिक चेतना और आस्था के सबसे बड़े प्रतीक पर किया गया निर्मम आघात था।

इस विध्वंस के उपरांत ही प्रतिरोध का शंखनाद हुआ। विध्वंस के बाद के लगभग पाँच शताब्दियों का इतिहास, संघर्ष, बलिदान और प्रतिरोध की गाथा है। स्थानीय रामभक्तों, साधु–संतों ने 70 से अधिक ऐतिहासिक युद्धों में अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। सरयू की लहरों में रक्त की गाथाएँ लिखी गईं। इस त्याग की परंपरा में सिख खालसाओं का योगदान भी अविस्मरणीय है, जिन्होंने जन्मभूमि में जाकर 1858 ईस्वी में श्रीराम लला का पूजन किया था। यह अनवरत प्रतिरोध न्याय की चिरस्थायी खोज का सबसे बड़ा उदाहरण है।

कानूनी, धार्मिक और राजनीतिक मोर्चे

'होइहि सोइ जो राम रचि राखा।
को करि तर्क बढ़ावहि साखा।।'
– रामचरितमानस (बालकांड)

कानूनी जकड़न तब शुरू हुई, जब ब्रिटिश सत्ता ने 1859 में ग्रिल की दीवार खड़ी करके हिंदुओं को बाहरी चबूतरे तक सीमित कर दिया। यह औपनिवेशिक छल था। फिर आई दिसंबर 1949 की वह अलौकिक रात्रि, जब श्रीराम लला की दिव्य मूर्ति गर्भगृह

में 'प्रकट' हुईं। परंतु तत्कालीन सरकारों ने तुरंत परिसर पर ताला जड़कर 'तुष्टीकरण' और 'यथास्थिति' की नीति को जन्म दिया, जिससे करोड़ों रामभक्त अपने ही आराध्य के दर्शन से वंचित हो गए। इस आंदोलन को राष्ट्रीय रूप देने का संकल्प 1983 में लिया गया, जब मुजफ्फरनगर के हिंदू सम्मेलन में दाऊ दयाल खन्ना जी ने, गुलजारी लाल नंदा और रज्जू भैया जैसे नेताओं की उपस्थिति में, अयोध्या, मथुरा और काशी की मुक्ति का तेजस्वी आह्वान किया। इसके उपरांत धर्म संसद ने भव्य मंदिर निर्माण का महा–संकल्प लिया।

इस संकल्प को मूर्त रूप देने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने संत समाज को एकजुट किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने स्वयंसेवक नेटवर्क से इसे अनुशासित और वैचारिक आधार प्रदान किया और 1990 में भारतीय जनता पार्टी ने लाल कृष्ण आडवाणी की ऐतिहासिक रथयात्रा (1990) के माध्यम से इसे साँस्कृतिक राष्ट्रवाद की मुख्यधारा की राजनीति में स्थापित किया। परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज और अशोक सिंघल जी जैसे तपस्वियों का जीवन इस उद्देश्य के लिए समर्पित रहा।

कारसेवा, बलिदान और विजय पथ

'करम प्रधान बिस्व करि राखा।
जो जस करइ सो तस फल चाखा।।'
– रामचरितमानस (अयोध्याकांड)

1989 में कामेश्वर चौपाल जैसे दलित कारसेवक द्वारा पहली शिलान्यास शिला रखी जाना, हिंदू एकता का प्रतीक बना। परंतु अक्टूबर–नवंबर 1990 में, तत्कालीन मुलायम सिंह यादव सरकार के अत्याचार का वह काला अध्याय आया, जब निहत्थे कारसेवकों पर गोलियाँ चलाई गईं। कोठारी बंधुओं (राम और शरद) जैसे तेजस्वी युवाओं ने 'जय श्री राम' का उद्घोष करते हुए बलिदान दिया। अंततः 6 दिसंबर, 1992 को लाखों कारसेवकों के सैलाब ने सदियों से खड़े अपमान के प्रतीक – विवादित ढाँचे का विध्वंस कर दिया। इस समय मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी ने कारसेवकों पर गोली न चलाने के अपने नैतिक संकल्प का सम्मान करते हुए अपनी सरकार का बलिदान दिया। इस घटना के तुरंत बाद देश की आंतरिक सुरक्षा पर जिहादी प्रतिशोध का हमला शुरू हुआ। 1993 के मुंबई बम धमाकों से लेकर गोधरा अग्निकांड (2002) आदि आतंकी घटनाओं सहित हाल ही में पेशेवर डॉक्टरों द्वारा लाल किले के पास किए गए फिदायीन हमले तक की श्रृंखला ने यह सिद्ध किया है कि इस्लामी आतंकवाद भारत की संप्रभुता पर सीधा हमला है।

अंततः 9 नवंबर, 2019 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सत्यमेव जयते की उद्घोषणा करते हुए विवादित भूमि को रामलला विराजमान को सौंप दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 5 अगस्त, 2020 को भव्य भूमि पूजन सम्पन्न हुआ। प्रधानमंत्री ने इस अवसर को 'नए भारत की संकल्प शक्ति' से जोड़ा और संदेश दिया कि यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि राम के आदर्शों पर आधारित राम राज्य की ओर बढ़ने का राष्ट्रीय प्रयास है।

श्रीराम मंदिर की संरचना : वास्तु, विशेषताएँ और विग्रहों का महत्व

श्रीराम जन्मभूमि मंदिर की संरचना नागर शैली की उत्कृष्ट कृति है, जो पाँचवीं शताब्दी के गुप्त काल से प्रेरित है। पूर्वमुखी यह भव्य भवन 380 फुट लंबा, 250 फुट चौड़ा और 161 फुट ऊँचा है, जिसमें तीन तल हैं और 366 नक्काशीदार स्तंभ हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार इसका गर्भगृह सूर्यवंशीय ऊर्जा का केंद्र है, जहाँ भूमि पूजन से प्रेरित त्रिवेणी संगम की कल्पना साकार हुई है। निर्माण में लोहे या सीमेंट का उपयोग न करके 60 मिलियन वर्ष पुरानी शालिग्राम शिलाओं और उच्च गुणवत्ता वाले बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया है, जो इसे भूकंप–प्रतिरोधी बनाता है।

मंदिर के गर्भगृह में मुख्य विग्रह रामलला का काला पत्थर से तराशा गया स्वरूप है, जो शक्ति, अनंतता और भक्ति का प्रतीक है। उनके दाहिनी ओर माता सीता, बाएँ ओर भाई लक्ष्मण और सामने हनुमान जी विराजमान हैं। ये विग्रह न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं, अपितु राम के आदर्शों–न्याय, त्याग और भक्ति को जीवंत करते हैं। मंदिर की संरचनात्मक विशेषताएँ, जैसे स्वर्णिम शिखर और नंदी मंडप, धार्मिक अनुष्ठानों को सुगम बनाती हैं, जबकि समाज के लिए संदेश है–'राम राज्य' में समानता, शांति और सत्कार्य।

धर्म ध्वजारोहण का महत्व

'राम नाम मनि दीप धरू जीह देहरी द्वार।
तुलसी भीतर बाहेरहुँ जौं चाहसि उजियार।।'
– रामचरितमानस (दोहावली)

25 नवंबर 2025 को अभिजीत मुहूर्त में संपन्न धर्म ध्वजारोहण एक विशेष धार्मिक पूर्णाहुति था, जो आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता है। यह आयोजन मंदिर निर्माण की पूर्णता का प्रतीक है, जो पाँच दिवसीय वैदिक अनुष्ठानों की श्रृंखला से चरम पर पहुँच कर संपन्न हुआ। 23 नवंबर से आरंभ हुए इन अनुष्ठानों में ध्वजा पूजन, मंत्रोच्चारण और संतों द्वारा सामूहिक जप शामिल थे, जो वाल्मीकि रामायण के प्रतीकों से प्रेरित थे। मुख्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत तथा अयोध्या, काशी और दक्षिण भारत से आए 108 आचार्यों की उपस्थिति रही। पूर्वी उत्तर प्रदेश से हजारों संतों और लगभग 7000 आमंत्रित अतिथियों ने भाग लिया, जिनमें राम से जुड़ी विविध समुदायों (जैसे निषादराज गुहा, शबरी माता से संबंधित) का प्रतिनिधित्व था। लाखों भक्तों ने सरयू तट से इस दिव्य दृश्य का साक्षात्कार किया, जबकि वैश्विक स्तर पर लाइव प्रसारण ने करोड़ों हृदयों को स्पंदित किया।

अनुष्ठानों का क्रम

प्रधानमंत्री मोदी का आगमन सुबह 9.30 बजे हुआ। लगभग 10 बजे उन्होंने सप्तमंदिर (महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, वाल्मीकि, देवी अहल्या, निषादराज गुहा और माता शबरी से संबंधित मंदिर) तथा शेषावतार मंदिर का दर्शन एवं पूजन किया। 11 बजे माता अन्नपूर्णा मंदिर का भ्रमण हुआ। उसके पश्चात राम दरबार गर्भगृह तथा राम लला गर्भगृह में दर्शन और पूजन संपन्न किया। दोपहर 11.45 पर अभिजीत मुहूर्त में मुख्य ध्वजारोहण अनुष्ठान चला, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं केसरिया धर्म ध्वजा को फहराया। इस दौरान वेद

मंत्रों की ध्वनि, शंखनाद, 'जय श्री राम' के उद्घोष और सामूहिक हवन (यज्ञ मंडप में लगभग 100 पुजारियों द्वारा) ने वातावरण को दिव्यता से भर दिया। ध्वजारोहण के तुरंत बाद प्रधानमंत्री ने सभा को संबोधित किया। यह अनुष्ठान प्राण प्रतिष्ठा (22 जनवरी 2024) से भिन्न है, जहाँ मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठापन हुआ था, जबकि ध्वजारोहण मंदिर को पूर्ण रूप से सक्रिय धार्मिक केंद्र बनाता है, जहाँ अब सभी 44 द्वार नियमित अनुष्ठानों के लिए खुले हैं। दैनिक आरती–मंगला आरती (4.30 बजे), श्रृंगार आरती (6.30 बजे), राजभोग आरती (11.30 बजे), संध्या आरती (7.30 बजे) तथा शयन आरती (9. 30 बजे) – भी निर्बाध रूप से संपन्न हुई।

केसरिया रंग की समकोण त्रिकोणीय ध्वजा (22 फुट लंबी और 11 फुट चौड़ी) – पर वाल्मीकि रामायण से प्रेरित प्रतीक चिन्ह अंकित हैं – सूर्य (सत्य, प्रकाश और सूर्य वंश का प्रतीक), ओम (शाश्वत ब्रह्मनाद और आध्यात्मिक कंपन) तथा कोविदार वृक्ष (शुद्धता, समृद्धि और राम राज्य का प्रतीक, ऋषि कश्यप द्वारा सृजित)। केसरिया रंग त्याग, बलिदान, ज्ञान और धर्म की विजय का संदेश देता है। यह पवित्र ध्वजा 42 फुट ऊँची घूमने वाली डंडी पर स्वचालित आरोहण विधि से फहराई गई, जो अहमदाबाद के पैराशूट विशेषज्ञ द्वारा निर्मित है, 2–3 किलोग्राम वजन वाली, उच्च गुणवत्ता वाली पैराशूट–ग्रेड कपड़े और रेशमी धागों से बनी तथा अत्यंत तीव्र हवा के लिए भी सहनशील–परंपरा और आधुनिक विज्ञान का संगम। यह मंदिर के 191 फुट ऊँचे मुख्य शिखर पर स्थापित होकर संपूर्ण परिसर की रक्षा का प्रतीक बनी। यह आयोजन विवाह पंचमी (श्रीराम–सीता विवाह की पावन तिथि) तथा गुरु तेग बहादुर बलिदान दिवस पर संपन्न हुआ, जो मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी का महत्वपूर्ण संयोग है। ज्योतिषीय दृष्टि से अभिजीत मुहूर्त, विजय, राज्याभिषेक और भाग्य– निर्माण का समय है, जो राष्ट्र पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा–राष्ट्रीय एकता को मजबूत कर, आर्थिक समृद्धि और साँस्कृतिक पुनरुत्थान लाएगा। यह राष्ट्र के मानस को ऊँचा उठाता है और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति प्रदान करता है।

2019 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद अयोध्या में सकारात्मक परिवर्तन उल्लेखनीय हैं – पर्यटन में 13. 77 करोड़ से अधिक आगंतुक (2024 तक), होटल, रेलवे और सड़क बुनियादी ढाँचे का विस्तार तथा दीपोत्सव जैसे उत्सवों ने आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार किया। संपूर्ण राष्ट्र के लिए इसका सामाजिक, आध्यात्मिक और आर्थिक महत्व है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी यह भारत की सनातन सँस्कृति का प्रतीक है, जो विश्व को 'वसुधैव कुटुंबकम्' का संदेश और साँस्कृतिक पुनरुत्थान की प्रेरणा देता है।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 'सदियों के घाव आज भर रहे हैं, यह 500 वर्ष पुराना संकल्प पूरा हो रहा है। यह धर्म ध्वजा भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का प्रतीक है। यह संदेश भी है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। सदियों की वेदना अब विराम पा रही है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति हुई है, जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक जली है। हमें गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह मुक्ति पानी होगी, देश को अपनी विरासत पर गर्व करना चाहिए। एक हजार साल बाद भी हम नहीं रहेंगे पर भारत रहेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख श्री मोहन भागवत ने इसे 'राष्ट्रीय इतिहास का अमिट क्षण' कहा, जो समाज को एकजुट करेगा। उन्होंने कहा कि आज हम सबके लिए सार्थकता का दिवस है। कितने ही लोगों ने जो सपना देखा, जो प्रयास किए, आज उनको स्वर्गीय आत्म तृप्त हुई होगी। आज वास्तव में अशोक सिंहल जी, महंत रामचंद्र दास जी, डालमिया जी आदि कितने ही संत, गृहस्थ और विद्यार्थियों ने अपना प्राणार्पण किया, पसीना बहाया।

मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने 'राम राज्य के शाश्वत मूल्यों और आस्था की विजय' का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम का यह भव्य मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था, सम्मान और गौरव का प्रतीक है। आज का यह धर्म ध्वजारोहण भारतीय सभ्यता के गौरव की पुनर्स्थापना का उद्घोष है, जिसने रामराज्य की संकल्पना को पुनर्जीवित किया है। राजनीतिक परिदृश्य पर यह साँस्कृतिक राष्ट्रवाद की निर्णायक विजय और तुष्टीकरण की राजनीति का अंत है। प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व, इस विजय को विकास और राष्ट्रीय मर्यादा के साथ जोड़ता है। यह ध्वजारोहण, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति और राष्ट्रीय स्वाभिमान की पुनर्स्थापना का सबसे बड़ा सांकेतिक कार्य है। यह 'नए भारत' का प्रतीक है, जो अपनी सभ्यतागत विरासत पर गर्व करता है। इस आंदोलन ने देश भर के हिंदुओं को जाति और क्षेत्रीयता की सीमाओं से परे जाकर एकजुट किया है, जो भारत की एकता और अखंडता को सुदृढ़ करता है।

भविष्य का संदेश

आज एक आनंदित परन्तु मर्यादित और सजग स्वयंसेवक का भाव इस ध्वजा के साथ फहरा रहा है। हम आनंदित हैं, क्योंकि सदियों की तपस्या पूरी हुई। हम सजग हैं, क्योंकि वैचारिक शत्रुता और सफेदपोश आतंकवाद का खतरा अभी भी शेष है। अब हमारा कार्य केवल मंदिर निर्माण नहीं, बल्कि राम के चरित्र–सत्यवादिता, त्याग और न्याय–को राष्ट्र के चरित्र में उतारना है। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान के अनुरूप, हमें यह सुनिश्चित करना है कि यह पुनर्जागरण, सबका विश्वास जीतकर, एक ऐसे भारत का निर्माण करे, जो विश्व को वसुधैव कुटुंबकम् का संदेश दे सके।

'होइहि सोइ जो राम रचि राखा।
को करि तर्क बढ़ावै साखा।।'

– रामचरितमानस (बालकांड)

राम ने जो रचा, वह आज साकार हुआ है। यह ध्वजा हमें निरंतर धर्म, न्याय और राष्ट्र–प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती रहेगी।

murari.shukla@gmail.com

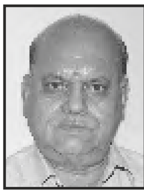

अजय कुमार

ममता एसआईआर के विरोध के नाम पर दे रही है घुसपैठियों का साथ

पश्चिम बँगाल में वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिविजन) प्रक्रिया का जबर्दस्त विरोध कर रही हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यह प्रक्रिया भाजपा द्वारा अल्पसँख्यकों, खासकर मुस्लिम वोटर्स को निशाना बनाने के लिए एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल की जा रही है। ममता का यह भी आरोप है कि एसआईआर के तहत घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से हटाने का नाम लेकर असली वोटरों को भी परेशान किया जा रहा है, जिससे उनका वोट बैंक प्रभावित हो सकता है। इस विरोध के पीछे दो पहलू हैं – एक तो ममता का अल्पसँख्यक वोट बैंक बचाने का प्रयास, और दूसरा पश्चिम बंगाल में चुनावी फायदे की नजर से यह विरोध। उन्होंने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए असम जैसे भाजपा शासित राज्यों में इस प्रक्रिया को लागू न करने की निंदा की है। ममता ने चुनाव आयोग को कई बार पत्र लिखकर इस प्रक्रिया को अव्यवस्थित, खतरनाक और बिना तैयारी के बताया है और इसे रोकने की मांग की है।

पश्चिम बंगाल में बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) को इस प्रक्रिया में काम करने में जो परेशानी हो रही है, वह तृणमूल काँग्रेस और ममता सरकार के एसआईआर विरोध के चलते है। बीएलओ यूनाइटेड फोरम के अनुसार, प्रदेश में बीएलओ को राजनीतिक संरक्षण वाले अपराधी तत्व धमका रहे हैं, जिससे वे अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे। बीएलओ के लिए उचित सुरक्षा, ट्रेनिंग और प्रशासनिक सहूलियत नहीं मिल रही है, वे अपने स्कूलों में भी उपस्थिति दर्ज नहीं करवा पा रहे हैं और उनके ड्यूटी आवंटन में अनियमितता है। इसके अलावा, उन्हें काम का अत्यधिक दबाव, डेटा में त्रुटियाँ, सर्वर फेलियर जैसी तकनीकी समस्याएँ झेलनी पड़ रही हैं और बिना कारण बताए डिसिप्लिनरी एक्शन की धमकियाँ मिल रही हैं।

ममता सरकार की यह रणनीति बीएलओज को भयभीत करके एसआईआर प्रक्रिया को बाधित करने की है, ताकि फर्जी वोटर सूची में बने रह सकें और घुसपैठियों या फर्जी वोटर्स को हटाने की प्रक्रिया सफल न हो। इस कारण प्रभावी तरीके से केवल पश्चिम बंगाल में ही बीएलओ को काम करने में दिक्कतें आ रही हैं। ममता ने चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाया है कि वे एसआईआर प्रक्रिया के तहत लगने वाले दबाव और समस्या को नजरअंदाज कर रहे हैं, जबकि बीएलओ अपने हद से ज्यादा काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया के रूप में पुलिस कार्रवाई व अन्य समर्थन नहीं मिल रहा, जिससे बीएलओ और ज्यादा दबाव में हैं।

इस प्रकार ममता सरकार का एसआईआर विरोध और बीएलओ पर हो रहे दबाव की जड़ में सीधा राजनीतिक हित है। ममता बनर्जी अल्पसँख्यक वोटरों को सुरक्षित रखने के साथ–साथ अपने राजनीतिक प्रभाव को बचाने के लिए इस प्रक्रिया का विरोध कर रही हैं। बीएलओ, जो घर–घर जाकर वोटर लिस्ट की जांच कर रहे हैं, उन्हें दंडित करने, धमकाने एवं उनकी सहायता रोकने की क्रियाएँ इस विरोध का हिस्सा हैं। पश्चिम बंगाल में यह स्थिति इसलिए विशेष रूप से गंभीर है, क्योंकि यहाँ के वोट बैंक में अल्पसँख्यकों का बड़ा हिस्सा है और ममता सरकार उसे खोना नहीं चाहती। कुल मिलाकर, ममता बनर्जी का एसआईआर विरोध घुसपैठियों के वोट को लेकर उनकी चिंता के साथ–साथ चुनावी रणनीति का हिस्सा है, जबकि बीएलओ को इस प्रक्रिया में कानूनी, प्रशासनिक और राजनीतिक दबाव की वजह से काम करना कठिन हो रहा है, और ममता सरकार इन दबावों और बाधाओं को बढ़ा रही है, ताकि एसआईआर प्रक्रिया पूरी तरह से प्रभावी न हो सके।

ajaimayanews@gmail.com

श्रीराम मन्दिर ध्वजारोहण पर पाकिस्तान की बौखलाहट

ललित गर्ग

पाकिस्तान की भारत–निंदा की आदत कोई नई नहीं है, यह उसकी कूटनीति एवं संकीर्ण सोच का स्थायी चरित्र बन चुकी है। ऐसा शायद ही कोई अवसर हो जब भारत की बढ़ती शक्ति, बढ़ती साख और साँस्कृतिक उन्नयन का प्रभावी दृश्य उभरे और पाकिस्तान उसमें संकुचित मानसिकता से भरी त्रासद टिप्पणियाँ न करे, विरोध का वातावरण न बनाए या अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अनर्गल आरोपों का पुलिंदा न खोले। हाल ही में अयोध्याजी में श्रीराम मंदिर पर हुए ध्वजारोहण समारोह को लेकर उसकी बौखलाहट इसी मानसिक दिवालियापन का ताजा उदाहरण है। भारतीयता के स्वाभाविक सद्भाव में सेंध लगाने का कोई अवसर पाकिस्तान हाथ से नहीं जाने देता। यह केवल एक धार्मिक समारोह नहीं था, बल्कि भारत की साँस्कृतिक चेतना, सभ्यता–स्मृति और साँस्कृतिक स्वाभिमान का वह क्षण था, जिसने पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित किया। पाकिस्तान ने इस ऐतिहासिक घटना का विरोध ही नहीं किया, बल्कि इसे संयुक्त राष्ट्र तक ले जाकर शिकायत की, जैसे उसे भारत के हर आंतरिक मामले में बाधा डालना ही अपनी कूटनीतिक जिम्मेदारी समझ में आता हो। इससे पहले भी उसने राम मंदिर निर्माण के अवसर पर अनर्गल विरोध दर्ज कराया था। यह उसका वह ढर्रा है, जो भारत के साँस्कृतिक उत्थान एवं उन्नयन की किसी भी झलक को देखकर सहन नहीं कर पाता।

पूरे कुतर्क एवं कुचेष्टाओं के साथ अपने बयान में पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने आरोप लगाया है कि श्रीराम मन्दिर का ध्वजारोहण भारत में धार्मिक अल्पसँख्यकों पर दबाव बनाने की व्यापक प्रवृत्ति का परिणाम है। वैसे दुनियाँ जानती है कि किस देश में अल्पसँख्यक ज्यादा दबाव में हैं? आज के समय में पाकिस्तान में बमुश्किल 50 लाख हिंदू बचे हैं, अन्य अल्पसँख्यक सिख और ईसाई तो न के बराबर हैं। पश्चिमी पाकिस्तान में बँटवारे से पहले करीब 15 प्रतिशत हिंदू रहा करते थे, पर बँटवारे के बाद हिंदुओं की सँख्या 2 प्रतिशत के आसपास आ सिमटी। दूसरी ओर भारत में 20 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम हैं, इनकी सँख्या अन्य अल्पसँख्यकों के साथ तेजी से बढ़ रही है। पाकिस्तान की ओर से यह फिजूल टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब पाकिस्तान खुद लंबे समय से हिंदुओं, ईसाइयों और अहमदिया मुसलमानों सहित दूसरे धार्मिक अल्पसँख्यकों के खिलाफ हिंसा का केंद्र बना हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के अनुसार 2025 की पहली छमाही में पूरे पाकिस्तान में ईसाइयों और हिंदुओं के खिलाफ हिंसा व उत्पीड़न जारी रहा है।

नौ सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली कहावत के अनुसार पाकिस्तान की यह दखलअंदाजी केवल अस्वीकार्य ही नहीं, बल्कि उसकी दोहरी मानसिकता और पाखंडी चरित्र को भी उजागर करती है। विडंबना यह है कि जो देश स्वयं अपने ही नागरिकों को सुरक्षित रखने में असमर्थ है, जो अपने ही अल्पसँख्यकों के मौलिक अधिकारों का हनन करता रहा है, वह भारत में मुसलमानों के अधिकारों की चिन्ता में

रातभर जागने का अभिनय कर रहा है। वह देश, जहाँ हिंदुओं की आबादी 1947 से लेकर आज तक लगभग समाप्त होने की कगार पर पहुँच चुकी है, जहाँ सिखों पर अत्याचार के अनगिनत उदाहरण मौजूद हैं, जहाँ ईसाइयों की प्रार्थना सभाओं को अक्सर हिंसा का निशाना बनाया जाता है, वह भारत में अल्पसँख्यक अधिकारों पर प्रवचन देने का नैतिक अधिकार कैसे प्राप्त कर सकता है? पाकिस्तान की विश्वसनीयता इतनी क्षतिग्रस्त हो चुकी है कि उसकी हर शिकायत एक राजनीतिक नौटंकी से अधिक कुछ नहीं रह जाती।

पाकिस्तान के इस व्यवहार के पीछे भारत के बढ़ते आत्मविश्वास, उभरती वैश्विक प्रतिष्ठा और मजबूत होती राष्ट्र–चेतना का भय साफ दिखाई देता है। भारत आज जिस तेजी से विश्व राजनीति में प्रभावशाली भूमिका निभा रहा है, उसकी आर्थिक शक्ति जितनी तेजी से बढ़ रही है और जिसके साँस्कृतिक और सभ्यतागत विमर्शों को वैश्विक स्तर पर सम्मान मिल रहा है, वह पाकिस्तान की बेचैनी का मूल कारण है। पाकिस्तान यह समझ चुका है कि भारत केवल राजनीतिक या आर्थिक शक्ति के रूप में ही नहीं, बल्कि साँस्कृतिक महाशक्ति के रूप में भी उभर रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का पुनर्निर्माण और इसके साथ जुड़ी साँस्कृतिक चेतना भारतीय समाज के भीतर एक नई एकता, नई ऊर्जा और एक नए आत्मसम्मान का निर्माण कर रही है। यही वह शक्ति है, जिससे पाकिस्तान सबसे अधिक डरता है, क्योंकि एक आत्मविश्वासी, एकजुट और सँस्कृति –प्राण भारत उसकी कट्टरपंथी राजनीति और भारत–विरोधी साजिशों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है।

पाकिस्तान की ओर से जो 'बुकलेट्स' और 'शिकायतें' अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पेश की जाती हैं, वे वस्तुतः उसकी असफल विदेश नीति का प्रमाण –पत्र हैं। एक ऐसा देश, जो आज आर्थिक दिवालियापन, राजनीतिक अस्थिरता और आतंकवाद की जड़ों में स्वयं फंसा हुआ है, वह भारत के आंतरिक धार्मिक आयोजनों को राजनीतिक संकट बनाने का हास्यास्पद प्रयास करता है। उसका यह व्यवहार न केवल हस्तक्षेपकारी है, बल्कि उकसाने वाला भी है। भारत इन सब निराधार आरोपों को न केवल तथ्यात्मक रूप से खारिज करने में सक्षम है, बल्कि जरूरत पड़ने पर हर मंच पर सटीक जवाब देने की तैयारी भी रखता है। भारत की नीति स्पष्ट है, वह किसी भी देश के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देता; परंतु अपने आंतरिक मामलों पर किसी की दखलंदाजी भी स्वीकार नहीं करता। भारत की आंतरिक नीतियाँ संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था से संचालित होती हैं। यहाँ का अल्पसँख्यक समुदाय किसी भी अन्य समुदाय की तरह समान अधिकारों का उपभोग करता है। भारत की भूमि पर हर धर्म, पंथ और विचारधारा को समान रूप से सम्मान मिलता है। यह विविधता और समभाव वाला देश है, जहाँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च केवल स्थापत्य संरचनाएँ नहीं, बल्कि भारतीय सँस्कृति के बहुरंगी फूल हैं। पाकिस्तान की एकरंगी धार्मिक नीति और कट्टरपंथी दबदबा इसे समझ नहीं पाता, इसलिए वह भारत के धार्मिक आयोजनों पर आपत्ति जताकर अपनी ही सीमित सोच को उजागर करता है।

भारत ने हर चुनौती, हर आरोप और हर उत्तेजक बयान का शांतिपूर्ण और तथ्याधारित उत्तर दिया है। यह संयम उसकी शक्ति भी है और सँस्कृति भी। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि भारत किसी उकसाने वाले कदम को नजरअंदाज करेगा। समय–समय पर भारत ने यह दिखाया है कि वह केवल साँस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से ही नहीं, बल्कि सामरिक, कूटनीतिक और आर्थिक स्तर पर भी पर्याप्त सक्षम है। पाकिस्तान यह भली–भांति जानता है कि भारत अब इक्कीसवीं सदी का भारत है–आत्मनिर्भर, जागृत, संगठित और विश्व–मान्य शक्ति। अयोध्या में राम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल का पुनर्निर्माण नहीं, बल्कि भारत की आत्मा से जुड़े साँस्कृतिक पुनर्जागरण की गूंज है। इसे कोई अंतरराष्ट्रीय मंच कमतर नहीं कर सकता। पाकिस्तान चाहे कितनी भी शिकायतें कर ले, कितने भी बयान जारी कर दे, या कितनी भी झूठी कहानियाँ गढ़ ले, भारत की साँस्कृतिक चेतना का उभार अविराम है और यह आगे भी नए आयाम स्थापित करता रहेगा। सच यह है कि पाकिस्तान की यह बौखलाहट उसकी पराजित मानसिकता का परिचायक है। भारत की बढ़ती शक्ति, बढ़ती प्रतिष्ठा और उभरती साँस्कृतिक पहचान उसके लिए सबसे बड़ा संकट है। लेकिन भारत का रास्ता स्पष्ट है–वह आगे बढ़ेगा, अपनी सभ्यता को सशक्त करेगा, अपनी सँस्कृति को विश्व–पटल पर स्थापित करेगा और किसी भी अनर्गल हस्तक्षेप का दृढ़ता से सामना करेगा। पाकिस्तान चाहे कितने ही मोर्चों पर खतरा बने, भारत हर मोर्चे पर उत्तर देने में सक्षम है–साहस से भी और सँस्कार से भी।

lalitgarg11@gmail.com

अनुकरण नहीं आत्मनिर्माण

स्वामी श्रद्धानन्द की आधुनिकता विमर्श की दृष्टि

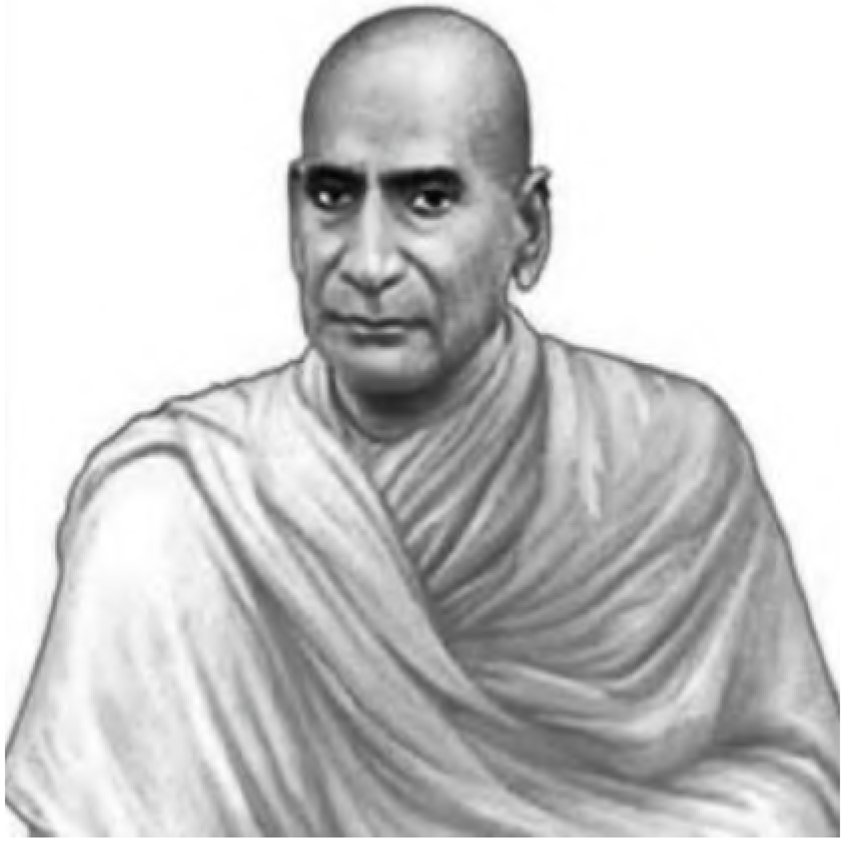

डॉ. श्रुति शर्मा

आज जब पूरा विश्व गम्भीर पारिस्थितिकीय संकटों जैसे जलवायु परिवर्तन, जैव–विविधता क्षय, प्रदूषण और पारिस्थितिक असंतुलन से जूझ रहा है, तब मानव और प्रकृति के संबंधों पर पुनर्विचार अत्यन्त आवश्यक हो गया है। तकनीकी विकास के विस्तार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि केवल वैज्ञानिक उपाय पर्याप्त नहीं हैं, यद्यपि इन चुनौतियों का मूल प्रश्न मनुष्य के नैतिक विवेक और मूल्य–चेतना से जुड़ा है। हिन्दू वैदिक परंपरा प्रकृति को वस्तु या संसाधन नहीं, बल्कि एक सजीव, पवित्र और परस्पर–निर्भर प्रणाली के रूप में देखती है। मनुष्य, अन्य जीव और पंचमहाभूत एक ही व्यापक ताने–बाने के अभिन्न अंग हैं। अथर्ववेद (12.1.45) में पृथ्वी को विविधताओं को धारण करने वाली, सहस्त्र धाराओं से पोषण देने वाली धेनु के रूप में चित्रित किया गया है, यथा–

जनं बिभ्रती बहुधा विवाचसं
नानाधर्माणं पृथिवी यथौकसम्।
सहस्र–धारा द्रविणस्य मे दुहां
ध्रुवेव धेनुरनपस्फुरन्ती।।

यह दृष्टि मनुष्य और पृथ्वी के संबंध को शोषण नहीं, बल्कि कृतज्ञता, संयम और ऋण–बोध पर आधारित करती है। इसी नैतिकता को आधुनिक भाषा में आगे बढ़ाने का प्रयत्न स्वामी श्रद्धानन्द जी के विचारों में स्पष्ट दिखाई देता है। उनकी कृति 'कल्याण मार्ग का पथिक' में "अनुकरण नहीं, आत्मनिर्माण" का आग्रह केवल व्यक्तिगत सुधार का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि वैदिक परंपरा के अनुरूप मनुष्य को ऐसी चेतना से जोड़ने का प्रयत्न है, जो औपनिवेशिक सत्ता, बाजार और तकनीकी ढाँचों के बीच रहते हुए भी उसे उत्तरदायी, संयमी और संवेदनशील बनाए रखता है।

स्वामी जी बार–बार चेतावनी देते हैं कि अंधानुकरण आधारित आधुनिकता, मनुष्य को अपनी सँस्कृति, समाज और प्रकृति इन तीनों से दूर कर देती है। इसके विपरीत, आत्मनिर्माण का मार्ग व्यक्ति को भीतर से दृढ़ बनाता है और उसे ऐसी नैतिक दृष्टि देता है, जो आधुनिकता को नकारने के बजाय उसे पुनः अर्थपूर्ण और मानविक बनाती है। उल्लेखनीय है कि इसी सन्दर्भ में स्वामी जी के जीवन–सन्दर्भ को समझना इसलिए आवश्यक है, क्योंकि उनकी आधुनिकता की चर्चा किसी सिद्धान्त की नहीं, बल्कि अनुभव से उपजी साक्षी–वाणी है। 1856 में पंजाब के जालन्धर जिले के तलवाँ गाँव में जन्मे मुंशी राम, एक सम्पन्न खत्री परिवार में पले–बढ़े, जहाँ दैनिक जीवन ही औपनिवेशिक शासन की उपस्थिति से भरा हुआ था। पिता लाला नानक चन्द 'ईस्ट इंडिया कम्पनी' की पुलिस में इन्स्पेक्टर थे और वे स्वयं स्मरण करते हैं कि बचपन में घर के वातावरण में "हुक्म, हाजिरी और वर्दी" की गंध इतनी गहरी थी कि औपनिवेशिक सत्ता बाहर से पहले भीतर की हवा बनकर मन पर छा गयी थी।

उनकी पढ़ाई बनारस से लेकर लाहौर तक कई शहरों में हुई। हर तबादले के साथ एक नया स्कूल, नये मित्र, और कहीं न कहीं पढ़ाई से अधिक आकर्षण उन रास्तों की तरफ खिंचने लगा, जिन्हें समाज भटकाव मानता है। अपनी कृति में वह लगभग स्वीकृति–भाव से लिखते हैं कि युवावस्था में उनके भीतर लगातार दो दिशाएँ टकराती रहीं–एक ओर अँग्रेजी शिक्षा, साहित्य, क्लब–सँस्कृति और सरकारी नौकरी की चकाचौंध और दूसरी ओर यह अथाह बेचैनी कि यह चमक कहीं उन्हें अपने धर्म, अपने लोगों और अपने ही अन्तःकरण से धीरे–धीरे दूर न ले जाये। इस तरह उनका जीवन केवल घटनाओं का वृत्तान्त नहीं, बल्कि उनके भीतर उठते प्रश्नों और आत्मनिर्माण की खोज का दस्तावेज बन रहा था।

स्वामी जी के प्रारंभिक वर्षों की

स्मृतियों में बार–बार ऐसे प्रसंग आते रहे हैं, जहाँ किसी पुजारी या धार्मिक व्यक्ति का आचरण, उन्हें गहराई से विचलित करता है–जैसे बाहर धर्म का आवरण और भीतर लोभ या कपट। वहीं दूसरी ओर अँग्रेज अफसरों की दुनियाँ, जो शक्ति, अनुशासन और प्रतिष्ठा का एक चमकीला विकल्प प्रस्तुत करती थी। इस द्वन्द्व ने कभी–कभी उन्हें नास्तिकता तक पहुँचा दिया–मानो सब कुछ ही दिखावा हो। किंतु यही आन्तरिक संघर्ष उनके भीतर यह मूल प्रश्न जगाता रहा कि सच्चा धर्म क्या है? और सच्ची आधुनिकता क्या है?

औपनिवेशिक आधुनिकता की इस दोहरी आग ने जहाँ एक ओर दमनकारी सत्ता–संरचनाओं का दबाव और दूसरी ओर उनकी नकल करने की सामाजिक उत्सुकता को मुंशी राम के भीतर अनुकरण और आत्मनिर्माण के बीच के फर्क को चाकू की धार की तरह स्पष्ट कर दिया। वहीं अँग्रेजी शिक्षा और नौकरशाही का पूरा ढाँचा जैसे यह संदेश देता था कि उन्नति का अर्थ है "उन जैसा बन जाना" अर्थात् उनकी भाषा, उनकी सोच, और उनके जीवन को आत्मसात कर लेना। पर भीतर कहीं एक धीमी आवाज बार–बार पूछती रही कि अगर इस प्रक्रिया में अपना स्वधर्म, अपनी भाषा और अपना आत्मगौरव खो जाए, तो क्या यह उन्नति वास्तव में उन्नति कही जा सकती है ?

यही प्रश्न आगे चलकर स्वामी जी की आधुनिकता की दृष्टि का केन्द्र बना। वह स्पष्ट करते हैं कि औपनिवेशिक ढाँचे का अनुकरण व्यक्ति को भीतर से अस्थिर और समाज को भीतर से निर्बल बनाता है। इससे न तो व्यक्ति का कल्याण सम्भव है, न समाज का और न ही प्रकृति का, लेकिन यदि आधुनिकता को आत्मनिर्माण यथा – चरित्र, स्वाध्याय, सत्यनिष्ठा और समाज–बंध के आधार पर पुनर्परिभाषित किया जाए, तभी वह मनुष्य, समाज और प्रकृति तीनों का कल्याण कर सकता है। सच्ची आधुनिकता जैसा कि उनकी कृति का समूचा कथ्य संकेत करता है, सच्ची आधुनिकता केवल आत्मनिर्माण की दिशा में उठे कदमों से ही शुरू होती है।

उल्लेखनीय है कि स्वामी जी अपनी कृति 'कल्याण–मार्ग का पथिक' में बार–बार इस बात की ओर संकेत करते हैं कि अँग्रेजी शिक्षा ने भारतीय युवक के सामने एक ऐसा आदर्श रख दिया था, जिसमें सफलता का मतलब था "उन जैसा" बन जाना। उनकी भाषा बोलना, उन्हीं पुस्तकों और आदर्शों को श्रेष्ठ मानना, और उनके तौर–तरीकों को सभ्यता का अंतिम मापदण्ड समझना। परीक्षा प्रणाली, अंकों और स्कॉलरशिप की दौड़, अँग्रेजी साहित्य के एक खास भावबोध को ही "क्लासिकल" बताना और सरकारी नौकरियों का आकर्षण – इन सब के माध्यम से वह दिखाते हैं कि शिक्षा का केन्द्र ज्ञान और चरित्र नहीं, बल्कि स्टेटस, नकल और ऊपर उठने की महत्वाकांक्षा बनता जा रहा था। उनकी दृष्टि में समस्या पश्चिम के ज्ञान से नहीं, बल्कि उस मानसिकता से है, जो उसे बिना आलोचनात्मक विवेक के उसे अपनाती है और इस प्रक्रिया में अपनी भाषा, परम्परा और नैतिक संवेदना से कटने लगती है। वह इस प्रवृत्ति को "अनुकरण" के रूप में चिन्हित करते हैं। स्वामी श्रद्धानन्द जी का गुरुकुल कांगड़ी जैसा प्रयास केवल एक शैक्षिक संस्थान नहीं, बल्कि उसी वैकल्पिक मार्ग की खोज है, जहाँ वेदाधारित नैतिकता, भारतीय भाषाएँ, प्रकृति केन्द्रित जीवन शैली और आधुनिक विषयों के साथ–साथ रहकर ऐसे मनुष्य गढ़ें जो, न तो अन्धानुकरण के शिकार हों और न ही संकीर्णता के बल्कि आत्मनिर्माण के बल पर आधुनिकता को अपनी शर्तों पर जीने की क्षमता रखें।

यही व्यापक पृष्ठभूमि स्वामी जी के विचारों को भी समझने की कुंजी बनती है। उपनिवेशित भारत में इस बात से चिन्तित थे कि पश्चिमी शिक्षा और सँस्कृति ने भारतीय समाज में अन्धानुकरण की प्रवृत्ति को बढ़ा दिया है, पर उनका उत्तर केवल "ना" कहना नहीं है; वे गुरुकुल कांगड़ी जैसे प्रयोगों के माध्यम से यह दिखाना चाहते थे कि शिक्षा ऐसी भी हो सकती है, जो आधुनिक विज्ञान और संगठन की शक्तियों को ग्रहण करें, लेकिन मनुष्य को अपनी जड़ों, प्रकृति और समाज से जोड़े रखे। इन सब आवाजों के बीच स्वामी जी की आधुनिकता सम्बन्धी चिन्ता विशिष्ट भी है और संवेदनशील भी। वह केवल पश्चिमी सभ्यता को नकारते ही नहीं, बल्कि यह भी समझने की कोशिश करते हैं कि आधुनिक विज्ञान, तर्क और संगठन की शक्तियाँ किस तरह उपयोगी हो सकती हैं, बशर्ते यह कि भारतीय समाज अंधानुकरण के बजाय आत्मनिर्माण की दिशा में उनका चयन और पुनर्सृजन करे। सरल शब्दों में कहें तो वह अँधी नकल के खिलाफ और "समझकर, छानकर, चुनकर लेने" के पक्ष में हैं। उनका आग्रह है कि जो भी नया ज्ञान हम लें, उसे लेते समय अपनी पहचान, अपनी स्मृति और सही–गलत की नैतिक समझ जीवित रखें। इस दृष्टि से उनका 'आत्मनिर्माण' का आग्रह केवल साँस्कृतिक चेतावनी नहीं, बल्कि आधुनिकता की एक वैकल्पिक दार्शनिक परियोजना है, जो यह स्पष्ट करती है कि हम ज्ञान और शिक्षा का उपयोग सभ्यता बनाने में करें–ऐसी जो मनुष्य, समाज और प्रकृति इन तीनों के साथ न्याय कर

सके। उल्लेखनीय है कि स्वामी जी के अनुसार धर्म, शिक्षा और राष्ट्र तीन अलग –अलग खाँचों में बँटे विचार नहीं हैं, बल्कि एक ही नैतिक–आध्यात्मिक अभिकल्पना के परस्पर जुड़े आयाम हैं। वेदाधारित धर्म बोध उनके लिए केवल कर्मकाण्ड या निजी मोक्ष का साधन नहीं, बल्कि ऐसा मूल्य तंत्र है, जो सत्य, साहस, अनुशासन, सेवा और समता जैसे गुणों के माध्यम से व्यक्ति और समाज दोनों का पुनर्गठन करता है। उनकी दृष्टि में यदि 'धर्म' मनुष्य के भीतर शक्ति, निडरता और न्याय बोध न जगा सके, तो वह निष्प्राण आस्था बनकर रह जाता है इसीलिए वे बार–बार धर्म को "बल", "स्वाधीनता" और "आत्मगौरव" से जोड़ते हैं।

इसी धार्मिक दृष्टि से उनका राष्ट्र बोध भी आकार लेता है। उनके लिए राष्ट्र केवल भौगोलिक सीमा या सत्ता संरचना नहीं, बल्कि वह जीवित समुदाय है, जो सांझा आध्यात्मिक मूल्यों और नैतिक दायित्वों से जुड़ा हुआ है। वह मानते हैं कि भारत की राष्ट्रीय चेतना का मूल स्वर ही धर्म है, अर्थात् यहाँ की सभ्यता का केन्द्रबिन्दु नैतिक आध्यात्मिक खोज और उससे उपजा सामाजिक न्याय। इसलिए यदि राष्ट्र निर्माण केवल राजनीतिक अधिकारों और आर्थिक विकास तक सीमित रह जाये और समाज के कमजोर, दलित एवं अन्य समुदायों को साथ लेकर न चला, तो, वह अधूरा रह जायेगा। इसी कारण अस्पृश्यता निवारण, शिक्षा विस्तार और सामाजिक संगठन, केवल धार्मिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि राष्ट्र को भीतर से सशक्त और समावेशी बनाने की प्रक्रिया के रूप में सामने आते हैं।

शुद्धि आन्दोलन

शुद्धि स्वामी जी के लिए केवल धार्मिक परिवर्तन का विषय नहीं था, बल्कि आत्मगौरव और सामाजिक पुनर्निर्माण की ऐसी चेष्टा थी, जिसमें वह उन समुदायों को, जिन्हें इतिहास, सत्ता और सामाजिक पूर्वाग्रहों ने हाशिये पर धकेल दिया था। जिन्हें वह पुनः सम्मान और आत्मविश्वास के साथ भारतीय समाज की मुख्य धारा में स्थापित करना चाहते थे। वह मानते थे कि धर्म का उद्देश्य भय या घृणा फैलाना नहीं, बल्कि साहस, स्वाभिमान और एकता जगाना है। इसी कारण शुद्धि उनके अनुसार केवल किसी एक धार्मिक पहचान के विस्तार की योजना न रहकर, अपने समाज के बिखरे हुए अंगों को जोड़ने, अस्पृश्यता और हीनता बोध को तोड़ने और राष्ट्र को भीतर से संगठित करने का साधन बनती है। आधुनिकता के सन्दर्भ में यह आन्दोलन इस बात का सशक्त उदाहरण है कि स्वामी जी धार्मिक भाषा का उपयोग केवल परलोक केंद्रित विश्वासों के लिए नहीं, बल्कि इस लोक के ऐतिहासिक अन्याय, सामाजिक असमानता और साँस्कृतिक हीनता से जूझने के लिए करते हैं। इस अर्थ में शुद्धि आत्मनिर्माण का सामूहिक और राजनीतिक रूप है।

ध्यातव्य है कि आधुनिकता के सन्दर्भ में स्वामी जी का मूल मत यह था कि यदि धर्म को केवल निजी अनुष्ठान और राष्ट्र को केवल सत्ता प्रतिस्पर्धा का साधन बना दिया गया, तो आधुनिक शिक्षा और विज्ञान भी अंततः एक स्वार्थी, विभाजित और पर्यावरण विरोधी समाज को ही जन्म देंगे। इसके विपरीत जब धर्म को नैतिक–आध्यात्मिक शक्ति और राष्ट्र को सांझा उत्तरदायी समुदाय के रूप में स्वीकार किया जायेगा, तभी शिक्षा, आधुनिक ज्ञान (विज्ञान, तकनीक, तर्क) मूर्त रूप में मनुष्य, समाज और प्रकृति इन तीनों के लिए कल्याणकारी बनेगा। यही उनके आधुनिकता विमर्श का मूल संयोजन है। गुरुकुल कांगड़ी में वह जिस अनुशासन, श्रम, प्रकृति–निष्ठ जीवन और राष्ट्र सेवा की भावना को एक साथ साधना का रूप देते हैं, वह इस बात का व्यावहारिक उदाहरण है कि धर्म, राष्ट्र और आधुनिकता आपस में टकराने के बजाय एक दूसरे को समृद्ध भी कर सकते हैं, यदि उनका केन्द्र आत्मनिर्माण और लोक कल्याण रहे।

उनका आग्रह उनके समय के युवा से ही नहीं बल्कि आज के वैश्विक नागरिक से भी है यथा–जो आधुनिकता तुम्हें केवल "दूसरों जैसा बनने" की दौड़ में धकेल दे, जो तुम्हें अपनी मिट्टी, अपने लोगों और अपनी धरती से अलग कर दे, वह प्रगति नहीं, एक नयी पराधीनता है। उनके लिए सच्ची आधुनिकता वही है, जिसमें मनुष्य इस साहस के साथ खड़ा हो सके कि जो ज्ञान और तकनीक उसके पास हैं, उनका उपयोग वह केवल अपने निजी लाभ के लिए नहीं, बल्कि धर्म के अर्थ में – सत्य, न्याय, करुणा और पृथ्वी संरक्षण के लिए करेगा।

इस अर्थ में "अनुकरण नहीं, आत्मनिर्माण" केवल एक साँस्कृतिक चेतावनी नहीं, बल्कि सभ्यता चयन का प्रश्न बन जाता है। क्या हम ऐसी आधुनिकता चुनेंगे, जो हमें अपने आत्म, अपने समाज, अपने राष्ट्र और अपनी पृथ्वी इन चारों से जोड़ती है, या ऐसी जो हमें भीतर से रिक्त और बाहर से चकाचौंध में छोड़ देती है? स्वामी जी का संकेत स्पष्ट है यदि धर्म, राष्ट्र और आधुनिकता मनुष्य के भीतर से चरित्र, उत्तरदायित्व और प्रकृति के प्रति आदर को जागृत न कर सकें, तो वे अपने सबसे गहरे अर्थ से खाली हो जाते हैं और यदि वह यह कर सकें, तो वही आधुनिकता, वही राष्ट्र निर्माण और वही धर्म एक नये, अधिक न्यायपूर्ण और पर्यावरण संवेदी युग की भूमि तैयार कर सकते हैं।

murari.shukla@gmail.com

भारत में धर्मांतरण निषेध कानून पृष्ठभूमि और आवश्यकता

सुरेश भट्ट

भारत में मुस्लिम और मुगल आक्रांताओं के समय से ही हिंदुओं को भय, लालच या छल–कपट से मुसलमान बनाने का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें हाल के दिनों में लव जिहाद का तत्व भी जुड़ गया है, और फिर ब्रिटिश राज में भी हिंदू से ईसाईयत में परिवर्तित करने का जो क्रम चला, वो जो आज भी जारी है। आजादी के बाद की सरकारों द्वारा इस धर्मांतरण को रोकने के लिए कोई खास प्रयास नहीं हुए, लेकिन उसके बाद जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें सत्ता में आईं, वहाँ मतान्तरण यानि धर्मान्तरण के खिलाफ सख्त कानून बनाने का प्रयास किया गया है और इन धर्मांतरण विरोधी कानूनों की वैधता को भी विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में चुनौती दी गई और बाद में विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों को भी मा. सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। इसके साथ ही, विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई के लिए मा. सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन भी किए गए हैं। इस संबंध में हाल ही में मा. सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब माँगा है। अतः इस परिप्रेक्ष्य में यह मुद्दा पुनः चर्चा में है, इसलिए धर्मांतरण संबंधित कानूनों की पृष्ठभूमि और आवश्यकता को समझने का प्रयास करेंगे।

आजादी से पहले और बाद की स्थिति

आजादी से पहले, ब्रिटिश शासन के दौरान जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कोई कानून लागू नहीं था लेकिन फिर भी देश की कुछ रियासतों जैसे क्रमशः राजगढ़, पटना, सरगुजा और उदयपुर ने जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए क्रमश 1936, 1942, 1945 और 1946 में पहली बार कानून पारित किए। इस प्रकार, धर्मांतरण को रोकने के लिए कुछ प्रारंभिक प्रयास किए गए। स्वतंत्रता के बाद धर्मांतरण को रोकने के लिए भारतीय धर्मांतरण (नियमन और पंजीकरण) विधेयक 1954 में लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन यह पारित नहीं हो सका और इसी तरह के विधेयक 1960 और 1979 में पेश किए गए, हांलाकि ये प्रावधान अपेक्षाकृत इतने कड़े तो नहीं थे, लेकिन राजनीतिक इच्छाशक्ति और बहुमत की कमी के कारण पारित नहीं हो सके।

नियोगी आयोग की संरचना और सिफारिशें

इस आयोग की स्थापना की पृष्ठभूमि देखें, तो ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में दलितों और आदिवासी समुदायों के बड़े पैमाने पर हो रहे धर्मांतरण के खिलाफ प्राप्त हुई असँख्य शिकायतें और अस्पतालों और अन्य सामाजिक सँस्थाओं द्वारा प्रलोभनों व अन्य धोखाधड़ी के माध्यम से मतान्तरण के लिए प्रेरित करने हेतु सँस्थानों और संशाधनों का दुरुपयोग, ईसाई समुदाय में शामिल होने वाले नए लोगों को भारतीयता से अलग करने के हो रहे राष्ट्र–विरोधी प्रयास और राष्ट्र की सुरक्षा को खतरे का विषय समेत विभिन्न आरोपों के आलोक में भारतीय जनसंघ ने "विदेशी मिशनरी विरोधी सप्ताह" कार्यक्रम के तहत एक विशाल जन आंदोलन चलाया, जिससे सरकार पर भारी दबाव पड़ा, इसके चलते मध्य प्रदेश सरकार ने 14 अप्रैल, 1954 को नागपुर उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एम. भवानी शंकर नियोगी की अध्यक्षता में एक पांच सदस्यीय आयोग का गठन किया, जिसे "ईसाई मिशनरी गतिविधियाँ जाँच समिति" के नाम से जाना गया। रोमन कैथोलिक चर्च ने 1955 में आयोग के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने अप्रैल 1956 में उसे खारिज कर दी। आयोग ने 700 विभिन्न गाँवों के 11,360 व्यक्तियों से संपर्क किया और 14 जिलों में अस्पतालों, स्कूलों, चर्चों और अन्य संस्थानों का दौरा किया और उसके बाद अपनी रिपोर्ट में दी गई महत्वपूर्ण सिफारिशों में स्पष्ट रूप से कहा गया कि (1) जिन मिशनरियों का मुख्य उद्देश्य धर्मांतरण करना है, उन्हें वापस लौटने के लिए कहा जाना चाहिए। (2) धर्मांतरण के प्रत्यक्ष साधन के रूप में चिकित्सा और अन्य व्यावसायिक सेवाओं के दुरुपयोग को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। (3) बलपूर्वक, धोखाधड़ी, भौतिक प्रलोभन या किसी व्यक्ति की विचारहीनता का लाभ उठाकर हो रहे धर्मांतरण के प्रयासों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। (4) दुष्प्रचार और अन्य अवैध प्रथाओं और रित–रस्मों से हो रहे धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए संवैधानिक संशोधन और कानूनी उपाय आवश्यक हैं और (5) राज्य सरकार की

अनुमति के बिना धार्मिक प्रचार के लिए साहित्य के वितरण पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। इस प्रकार, नियोगी आयोग ने पाया कि ईसाई मिशनरी "राज्य के भीतर एक राज्य" का निर्माण कर रहे हैं और 'ईसाई मिशनरियों की परोपकारी गतिविधियाँ धर्मांतरण के लिए एक मुखौटा हैं'। लेकिन इस आयोग की रिपोर्ट की गंभीरता पर न तो विधानसभा में, न संसद में, न ही सार्वजनिक रूप से कोई बहस हुई। एक तरह से, इस रिपोर्ट को काँग्रेस सरकार ने वोट की राजनीति के दबाव में दबा दिया।

सबसे पहले 1967 में ओडिशा में धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 1967 को अधिनियमित किया गया था। उसके बाद मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 1968 को अधिनियमित किया गया, लेकिन मध्य प्रदेश और ओडिशा के कानूनों को मिशनरियों द्वारा चुनौती दी गई, जिसमें उड़ीसा उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए कानून को रद्द कर दिया था कि राज्य विधानमंडल को धर्म के मामलों पर कानून बनाने का अधिकार नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मध्यप्रदेश सरकार के कानून को बरकरार रखा, बाद में इन दोनों उच्च न्यायालय के निर्णयों को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने एक संयुक्त निर्णय से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा तथा उड़ीसा उच्च न्यायालय के निर्णय को रद्द कर दिया, यानी राज्य सरकार द्वारा धर्म परिवर्तन के खिलाफ पारित कानून को बरकरार रखा गया (संदर्भ : स्टेनिसलॉस – Stainislaus) बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य, 1977 सुप्रीम कोर्ट) हालाँकि, उसके बाद मध्य प्रदेश में बनी भाजपा सरकार ने 2006 और बाद में इसमें और कड़े प्रावधान जोड़े हैं। 1995 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सरला मुद्गल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में प्रथम हिंदू विवाह के अस्तित्व के बावजूद दूसरी शादी के उद्देश्य से किये गए धर्म परिवर्तन के संदर्भ में धर्मान्तरण के दुरुपयोग को रोकने के लिए धर्म परिवर्तन कानून बनाने की संभावनाएँ तलाशने के लिए एक समिति के गठन का सुझाव दिया और उसके बाद अन्य

निर्णयों में न्यायालयों ने माना है कि धर्म की स्वतंत्रता की आड़ में संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धर्मान्तरण को उचित नहीं ठहराया जा सकता। 1978 में अरुणाचल प्रदेश ने आदिवासियों को किसी भी प्रकार के जबरन धर्मांतरण से बचाने के लिए अरुणाचल प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 1978 पारित किया। सन 2000 में छत्तीसगढ़ और 2003 में गुजरात ने धर्मांतरण विरोधी धर्म स्वतंत्रता अधिनियम कानून पारित किया। सन् 2021 में धर्मान्तरण कानून में कुछ सख्त प्रावधान शामिल किए गए, जिनमें से कुछ प्रावधानों के कार्यान्वयन को गुजरात उच्च न्यायलय ने स्थगित किया है। यह विवाद फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय में है। हिमाचल प्रदेश ने 2006 में अवैध धर्मांतरण निषेध अधिनियम लागू किया था, जिसमें 2019 में कुछ संशोधन जोड़े गए हैं। तमिलनाडु सरकार ने जबरन धर्मांतरण निषेध विधेयक, 2002 पारित किया था, जिसे बाद में राजनीतिक दबाव के कारण इसे 2004 में निरस्त कर दिया गया। झारखंड ने 2017 में और उत्तराखंड ने 2018 में धर्मांतरण विरोधी कानून पारित किया। उत्तर प्रदेश ने अवैध धर्मांतरण निषेध अधिनियम, 2020 पारित किया और 2021 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कर्नाटक राज्य में 'अनधिकृत' ईसाई मिशनरियों का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया। इसके बाद कर्नाटक धर्म और स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण अधिनियम, 2021 पारित किया गया। हरियाणा राज्य विधानसभा ने हरियाणा अवैध धर्मान्तरण प्रतिबन्ध विधेयक, 2022 पारित किया। राजस्थान में बलपूर्वक, या प्रलोभन द्वारा धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए पेश किए गए अवैध धर्मान्तरण निषेध विधेयक, 2025 को पारित किया है जिसमें सामूहिक धर्मांतरण के किस्से में 20 वर्ष कारावास या आजीवन कारावास एवं संस्थागत भवनों को सील करना, या, ध्वस्त करना, साथ ही 10–20 वर्ष कारावास और 20 लाख रुपये का जुर्माना और दोबारा अपराध करने पर आजीवन कारावास जैसे कठोर प्रावधान किए गए हैं, साथ में धर्मांतरण के उद्देश्य से की गई शादियों को अमान्य घोषित करना तथा इस कानून के तहत "घर वापसी" को अपराध से बाहर रखना तथा पीड़ित को 5 लाख रुपये तक का मुआवजा देना शामिल है। स्थान की कमी के कारण, कई आवश्यक विवरण संक्षेप में प्रस्तुत किए हैं।

निष्कर्ष

भारत के पड़ोसी देशों नेपाल, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका और पाकिस्तान में भी जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कानून हैं। भारत में अवैध और राष्ट्रविरोधी धर्म परिवर्तन, जनसँख्या असंतुलन पैदा करके राजनीतिक दबावों को रोकने हेतु और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों पर और उग्रवाद पर अंकुश लगाने के लिए धर्मांतरण निषेध कानूनों की सख्त जरूरत है। कुछ तत्व और छद्म धर्मनिरपेक्षतावादी ऐसे कानूनों के क्रियान्वयन को रोकने के लिए अदालतों की आड़ लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस दिशा में समय की मांग है कि व्यापक जनमत बने और बौद्धिक समुदाय सक्रिय रूप से ऐसे कानूनों के समर्थन में आगे आएँ।

sbbhatt2708@gmail.com

मुरारी शरण शुक्ल
सह सम्पादक हिन्दू विश्व

शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन शाखा का दंडपाठ (दंडक्रम) पारायण

वेदों के मूलपाठ को सुरक्षित और अक्षुण्ण रखने के हेतु से ऋषियों ने वेदमंत्रों के पाठ की अनेक विधियों का उपदेश किया। ये सभी विधियाँ ऋषियों के द्वारा ही वेदमंत्रों की भांति ही दृष्ट एवं अपौरुषेय हैं। इन पाठों के द्वारा विविध प्रकार से अभ्यास किए जाने के कारण वेदों को आम्नाय कहा जाता है। इन विविध पाठों की परम्परा के कारण ही सम्पूर्ण वेदराशी का एक भी शब्द अथवा मात्रा का विपर्यय न होते हुए, हमको शुद्धत्तम रूप में आज भी उपलब्ध है। सम्पूर्ण विश्व में ऐसी कोई भी अन्य परम्परा उपलब्ध नहीं है। प्रातिशाख्य में विकृतियों के सम्बन्ध में वर्णन है–

जटा माला शिखा रेखा ध्वजो दण्डो रथो घनः।
अष्टौ विकृतयः प्रोक्ता क्रमपूर्वा महर्षिभिः।।

इससे यह स्पष्ट होता है कि महर्षियों ने क्रम पाठ एवं प्रकृति पाठ का दर्शन करने के अनन्तर उनका उपदेश किया। मधुशिक्षा के अनुसार जटापाठ के ऋषि व्याडि, मालापाठ के ऋषि वसिष्ठ, शिखापाठ के ऋषि भृगु, रेखापाठ के ऋषि अष्टावक्र, ध्वजपाठ के ऋषि विश्वामित्र, दण्डपाठ के ऋषि पराशर, रथपाठ के ऋषि कश्यप तथा घनपाठ के द्रष्टा ऋषि अत्रि हैं। इस प्रकार ये सभी पाठ ऋषिदृष्ट हाने के कारण अपौरुषय हैं।

महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य में यजुर्वेद की 100 शाखाओं का वर्णन किया है। "एकशतमध्वर्युशाखाः" (आह्निक 1)। षड्गुरुशिष्य की सर्वानुक्रमणी की वृत्ति में तथा कूर्मपुराण में भी यजुर्वेद की 100 शाखाओं का उल्लेख मिलता है। परन्तु "चरणव्यूह" में यजुर्वेद की 86 शाखाओं का ही उल्लेख मिलता है। शुक्ल यजुर्वेद में दो शाखाएँ हैं –

1. माध्यन्दिन संहिता –
2. काण्व संहिता

(स्रोत– sanskritgyan.com)

वेदों के पाठ दो प्रकार से किए जाते हैं–

1. प्रकृति पाठ

ये तीन प्रकार के होते हैं –

क. संहितापाठ, ख. पदपाठ तथा ग. क्रमपाठ।

2. विकृति पाठ

वेद मंत्रों के यथारूप पाठ को प्रकृति पाठ कहा जाता है। जबकि मंत्रों के क्रम में अनेकविध परिवर्तन करके विद्यार्थियों को स्मरण कराने की जो युक्ति पूर्वक अंतरण करते हैं, तो इस प्रकार के पाठ को विकृत पाठ कहा जाता है। यद्यपि यह भी वैदिक परम्परा में प्रमाणिक माना जाता है। ये विकृत पाठ आठ प्रकार से किए जाने की परम्परा रही है– क. जटापाठ, ख. मालापाठ, ग. शिखापाठ, घ. रेखापाठ, ङ. ध्वजपाठ, च. दण्डपाठ, छ. रथपाठ, ज. घनपाठ। (स्रोत– mysticpower-in)

पारायण – निश्चित विधि से किसी भी पाठ को अनुष्ठानपूर्वक दुहराने की प्रक्रिया को पारायण कहा जाता है। जैसे श्रीराम चरित मानस का नवाह्न पारायण किया जाता है अनुष्ठानपूर्वक तो इसे पाठ और यज्ञ दोनों की संज्ञा दी जाती है। यह सर्वाधिक प्रचलित पारायण है।

दण्डपाठ– दंडक्रम पारायण में पदों का विशिष्ट स्वर शैली में सीधा और उल्टा पाठ एक साथ किया जाता है। जैसे हम सीधी और उल्टी गिनती करते हैं, उसी प्रकार दंडक्रम पारायण में होता है। इसकी विशिष्टता यह कि जैसे एक से दूसरा पद गाया गया। आगे बढ़ने के लिए दूसरा और पहला पद फिर से गाया जाता है। अगले क्रम में एक, दो और तीन पद गाए जाते हैं। फिर तीसरा, दूसरा और पहला पद गाने के बाद चौथा

पद गाया जाता है। पुनः चौथे पद को गाने के बाद तीसरा, दूसरा और पहला पद गाया जाता है। शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन शाखा के 225 पदों का दंडक्रम में पारायण करते हुए करीब 25 हजार पद हो जाते हैं। इसमें एक करोड़ से अधिक शब्द समाहित होते हैं।

(स्रोत– livehindustan.com)

पदों का क्रम : इसमें पदों को सीधे क्रम (पद 1, 2, 3...) और फिर उल्टे क्रम (पद 3, 2, 1...) में एक साथ जोड़ा जाता है।

संरचना : यह गिनती की तरह होता है :

सीधा 1—2
उल्टा 2—1
सीधा 1—2—3
उल्टा 3—2—1
फिर सीधा 1—2—3—4
फिर उल्टा 4—3—2—1 और इसी तरह आगे बढ़ता है।

जटापाठ– इस प्रथम विकृतिपाठ में दो पदों को अनुक्रम, व्युत्क्रम तथा सक्रम इस प्रकार तीन बार सन्धिपूर्वक अवसानरहित पढ़ा जाता है। जैसे– "विष्णो, कर्माणि विष्णोर्विष्णो कर्माणि।" इत्यादि। जटापाठ पंचसन्धियुक भी होता है। इसमें अनुक्रम, उत्क्रम, व्युत्क्रम, अभिक्रम तथा सक्रम ये पाँच क्रम होते हैं। पदों को सँख्या के साथ प्रदर्शित करते हुए इसका स्वरूप इस प्रकार है–"विष्णो कर्माणि (अनुक्रम), कर्माणि, कर्माणि (उत्क्रम), कर्माणि विष्णो (व्युत्क्रम), विष्णोर्विष्णो (अभिक्रम) और विष्णो कर्माणि (सक्रम)।"

मालापाठ — इसके दो भेद हैं– पुष्पमाला और क्रममाला। अधिक प्रचलित पुष्पमालापाठम जटा की भाँति हो तीनों क्रम पढे जाते हैं, कितु प्रत्येक के बीच में विराम किया जाता है। जैसे– "विष्णो कर्माणि। कर्माणि विष्णो। विष्णो कर्माणि।" इत्यादि।

शिखापाठ — जटापाठ के त्रिविध क्रमों के बाद एक आगे का पद ग्रहण करने पर शिखापाठ हो जाता है। जैसे– "विष्णो कर्माणि कर्माणि विष्णोर्विष्णो कर्माणि पश्यत्।" इत्यादि।

रेखापाठ — इसमें आधी ऋचा अथवा सम्पूर्ण ऋचा के दो पदों का क्रमपाठ, तीन पदों का क्रमपाठ, चार पदों का

क्रमपाठ इस प्रकार क्रमशः किया जाता है। इसी प्रकार व्युत्क्रम में भी करने के बाद सक्रम में दो–दो पदों का ही पाठ होता है। प्रत्येक क्रम के आरम्भ में एक पूर्ववर्ति पद छोड़ते हुए अवसानपूर्वक यह पाठ होता है। जैसे–स। ओषधय स। समोषधय। ओषधय स वदन्ते सोमेन। सोमेन वदन्ते स। स वदन्ते।। वदन्ते सोमेन सह राज्ञा। राज्ञा सह सोमेन वदन्ते। वदन्ते सोमेन। सोमेन सह। सह राज्ञा। इत्यादि।

ध्वजपाठ — इसके अन्तर्गत प्रथम दो पदों का क्रम तथा अन्तिम पदों का क्रम, इस प्रकार साथ–साथ आदि से अन्त और अन्त से आदि तक पाठ होता है। यह एक मन्त्र में अथवा एक वर्ग में आदि से अन्त तक हो सकता है। जैसे– ओषधय स। पारयामसीति पारयामसि। स वदन्ते। राजन् पारयामसि। वदन्ते सोमेन। त राजन्। इत्यादि।

दण्डपाठ — अनुक्रम से दो पदों के पाठ के अनन्तर व्युत्क्रम में क्रमशः एक–एक पद बढाते हुए पाठ करना दण्डपाठ है। यह विधि अर्धर्च तक चलती है। जैसे– "ओषधय स। समोधषय। ओषधय स। स वदन्ते।। वदन्ते समोषधय। ओषधय स। स वदन्ते। वदन्ते सोमेन।। सोमेन वदन्ते समोषधय।" इत्यादि।

रथपाठ — इसके तीन भेद हैं– द्विचक्र, त्रिचक्र तथा चतुश्चक्र। द्विचक्र रथ अर्धर्चश होता है। त्रिचक्र रथ समानपद संख्या वाले तीन पदों की गायत्री छन्द की ऋचा में ही पादश होता है। चतुचक्र रथ भी पादश होता है। त्रिचक्र रथ का उदाहरण यह है–

प्रथम अनुक्रम — विष्णो कर्माणि। यतो व्रतानि। इन्द्रस्य युज्य।

व्युत्क्रम — कर्माणि विष्णो। व्रतानि यत। युज्य इन्द्रस्य।

द्वितीय अनुक्रम — विष्णो कर्माणि। यतो व्रतानि। इन्द्रस्य युज्य। कर्माणि पश्यत। व्रतानि पस्पशे। युज्य सखा।

व्युत्क्रम — पश्यत कर्माणि विष्णो। पस्पशे व्रतानि यत। सखा युज्य इन्द्रस्य। इत्यादि।

घनपाठ — वैदिक विद्वानों में सर्वाधिक समादृत घनपाठ भी चार प्रकार का है। घन के दो भेद तथा घनवल्लभ के भी दो भेद हैं। घनपाठ में शिखापाठ करके उस का विपर्यास करने के बाद पुनः उन तीन पदों का पाठ किया जाता है। जैसे– "ओषधय स समोषधय ओषधय स वदन्ते वदन्ते समोषधय ओषधय स वदन्ते।।" इत्यादि। घनवल्लभम् पंचसन्धियुक्त पाठ होता है। अनुक्रम, उत्क्रम, व्युत्क्रम, अभिक्रम और सक्रम– इन पाँच प्रकार की सन्धियों से युक्त होने के कारण इसे पञ्चसन्धियुक्त घन भी कहते हैं। इसका उदाहरण इस प्रकार है– "पावका न। नो न। न पावका। पावका पावका। पावकान। पावका नो न पावका पावका न सरस्वती सरस्वती न पावका पावका न सरस्वती।" इत्यादि। इनके अतिरिक्त अन्य भी अवान्तर भेद हैं, जो ज्योत्स्नावृत्ति आदि ग्रन्थों से ज्ञातव्य है।

उपर्युक्त अष्टविकृति के प्रकारों से यह स्पष्ट है कि महर्षियों ने इन वैज्ञानिक पाठ–प्रकारों के आधार पर वेदमन्त्रों की रक्षा अत्यन्त परिश्रमपूर्वक की तथा इसमें एक भी स्वर–वर्ण अथवा मात्रा की त्रुटि न हो, इसका उपदेश दिया। इन पाठों के कारण आज भी विश्व की धरोहर के रूप में वेद शुद्ध रूप से प्राप्त हो रहे हैं।

स्रोत– वेद कथांक (कल्याण)– डॉ. श्रीश्री किशोरजी मिश्र

दंडक्रम पारायण शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन शाखा के लगभग 2000 मंत्रों का विशेष पाठ है। इसमें मंत्रों को सटीक स्वर, उच्चारण और शुद्धता के साथ आगे–पीछे कंठस्थ कर सुनाना होता है। यह वेद पाठ के 8 प्रकारों में सबसे कठिन है। 19 वर्षीय देवव्रत महेश रेखे ने इसे 50 दिनों में पूरा कर इतिहास रचा है। यह 200 साल बाद दूसरी बार हुआ है। 200 साल पहले नासिक में वेदमूर्ति नारायण शास्त्री देव ने दंडक्रम का पारायण किया था।

(स्रोत– agniban.com)

सर्दियों के आहार में शामिल करने योग्य खाद्य पदार्थ

सूप

सर्दियों में सूप सबसे अच्छे भोजनों में से एक है। सूप न केवल आपको ठंड के दिनों में गर्माहट देते हैं, बल्कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मज़बूत करता है। चूँकि सूप ज्यादातर हल्के होते हैं, इसलिए ये आपके पाचन तंत्र पर ज्यादा दबाव नहीं डालते और इसलिए इन्हें रात में भी पिया जा सकता है। सूप शरीर में पानी की कमी को पूरा करने में भी मदद करते हैं और ये आसानी से जम जाते हैं, इसलिए इन्हें बड़ी मात्रा में तैयार करके रखा जा सकता है।

दालें और दलहन

दालें, दलहन, मटर और बीन्स शाकाहारी लोगों के लिए अपने आहार में प्रोटीन शामिल करने के अच्छे विकल्प हैं। प्रोटीन के साथ–साथ, ये विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट का भी अच्छा स्रोत हैं। स्वाद से भरपूर, इन्हें सर्दियों में आपको गर्म रखने के लिए करी और सूप में आसानी से मिलाया जा सकता है। आप दिन की शुरुआत गर्माहट के लिए गरमागरम दाल का दलिया बनाकर भी कर सकते हैं।

पत्तेदार साग

सर्दियाँ विभिन्न प्रकार की पत्तेदार सब्जियाँ भी लेकर आती हैं, जिन्हें आमतौर पर कहा जाता है साग। ये साग, विशेष रूप से सरसों का साग अपने पौष्टिक गुणों के कारण सर्दियों में लोकप्रिय व्यंजन है। ज्यादातर साग आयरन से भरपूर होते हैं जो आपके हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, हृदय और पाचन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और सर्दियों में होने वाले आम संक्रमणों से लड़ने में भी मदद करते हैं।

मौसमी फल

किसी भी मौसम में नाश्ते का सबसे अच्छा तरीका फल खाना है। सर्दियों में आपको संतरे, क्रैनबेरी, अनार, अनानास, कीवी और नाशपाती जैसे बेहतरीन फलों के विकल्प मिलते हैं। इनमें से ज्यादातर फल फाइबर और पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, खासकर विटामिन सी, जो आपकी त्वचा के लिए बहुत अच्छा है और संक्रमणों से लड़ने में मदद करता है।

कच्ची या उबली हुई सब्जियाँ

फलों के साथ–साथ, सर्दी हमें स्वादिष्ट और पौष्टिक सब्ज़ियाँ भी देती है, जिन्हें नाश्ते में खाया जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्वों का लाभ उठाने के लिए कच्ची या उबली हुई सब्ज़ियाँ खाने की कोशिश करें। सर्दियों की आम सब्ज़ियाँ हैं ब्रोकली, गाजर, आलू, प्याज, पालक, मेथी, चुकंदर, सरसों, पत्तागोभी, फूलगोभी, सलाद पत्ता, मटर, हरा धनिया, पुदीना और लहसुन। आप इनमें से ज्यादातर सब्ज़ियों को मिला कर सेहतमंद और कुरकुरा सलाद भी बना सकते हैं।

सूखे मेवे

सूखे मेवे खाना एक और स्वस्थ और स्वादिष्ट स्नैकिंग विकल्प है। ज्यादातर सूखे मेवे पर्याप्त मात्रा में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट, खासकर पॉलीफेनॉल्स से भरपूर होते हैं। फाइबर पाचन में मदद करते हैं और आपकी भूख मिटाते हैं, जबकि एंटीऑक्सीडेंट कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं, जिनमें बेहतर पाचन स्वास्थ्य, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रक्त प्रवाह और ऑक्सीडेटिव क्षति में कमी शामिल है। हालाँकि, सूखे मेवे खाते समय आपको अपनी कैलोरी की मात्रा पर ध्यान देना चाहिए और अतिरिक्त स्वाद वाले सूखे मेवों से बचना चाहिए।

खजूर

खजूर अपने उच्च फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण सर्दियों में आपको गर्म रखने में भी मदद करते हैं। खजूर आयरन, कैल्शियम, विटामिन और मैग्नीशियम का एक बेहतरीन स्रोत हैं। खजूर के अधिकतम लाभ पाने के लिए, आप इन्हें दूध के साथ खा सकते हैं। खजूर रक्तचाप को नियंत्रित करने, हृदय स्वास्थ्य बनाए रखने और कब्ज से राहत दिलाने में मदद करते हैं। अपने ऊर्जा–वर्धक गुणों के कारण, ये वर्कआउट के बाद के नाश्ते के लिए भी एक बेहतरीन विकल्प हैं।

स्रोत– सेहत कहानी डाट कॉम

केन्द्रीय सोशल मीडिया प्रशिक्षण वर्ग सम्पन्न

दिल्ली के बक्करवाला में स्थित आनन्दधाम आश्रम में 22–23 नवम्बर 2025 को विश्व हिन्दू परिषद के केन्द्रीय प्रचार–प्रसार विभाग द्वारा अखिल भारतीय सोशल मीडिया प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया गया। वर्ग का उद्घाटन आश्रम के पूज्य महंत संत श्री सुधांशु जी महाराज एवं विश्व हिन्दू परिषद के केन्द्रीय संयुक्त महामंत्री श्री डॉ. सुरेन्द्र कुमार जैन के कर कमलों से हुआ। सत्र को सम्बोधित करते हुए श्री जैन ने कहा कि वर्तमान युग हिन्दूत्व के नवोत्थान का युग है, यह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करता है। आज समाज में जो भी स्थापित होना चाहता है, उसको स्वयं को हिन्दू कहना ही पड़ता है। पर्यावरण प्रदूषण से पृथ्वी और सृष्टि की रक्षा हिन्दू धर्म में है। आतंकवाद का समाधान और इससे सुरक्षा हिन्दू धर्म में है। आतंकवाद के विचार को कुचलना पड़ेगा, लव जिहाद जैसे कुचेष्टाओं को नष्ट करना होगा। हमें नैरेटिव के युद्ध को जीतना होगा। समाज में खड़े किए जा रहे अनेक प्रकार के भेदों को मिटाना होगा। उनके नैरेटिव को तोड़कर अपना विमर्श स्थापित करना होगा।

उद्घाटन सत्र को सम्बोधित करते हुए पूज्य संत सुधांशु जी महाराज ने कहा कि अंग्रेज संस्कृति पर आक्रमण कर रहे थे। जहाँ जमीन अपनी हो लेकिन संस्कृति अपनी न हो, वहाँ कश्मीर, बाँग्लादेश जैसी स्थिति होती है। लेकिन जहाँ जमीन और स्वामित्व अपनी न हो, लेकिन लोग और संस्कृति हो, वह भूमि विदेशों में भी मिनी इंडिया कहलाती है। हमारा जीवन दर्शन रामायण, महाभारत, शास्त्रों, वेदों में है। आज संचार क्रांति के माध्यम से कुसंस्कारों का फैलाव हो रहा है। गाजी को जन्नत नही फिरदौस मिलता है। गजवा–ए–हिन्द, मुस्तफा–ए–हिन्द हश्र का दिन, जन्नत इंतजार कर रहा है। मैं जिन्दा रहा तो लेकर जाउंगा, नहीं तो, तुम्हारी जिम्मेदारी। मदरसे और गुरूकुल के अंतर को समझना होगा। कान्वेन्ट स्कूल और आचार्यकुलम् के अंतर को समझना होगा। संघ के लोगों को समाज और देश विरोधियों की जितनी जानकारी है, उतनी एजेंसियों को भी नही पता है। उन्होंने कहा कि मार्शल जातियों को जोड़ना पड़ेगा, उनका समाज–देश के लिए उपयोग कर सकने वाले लोग चाहिए।

आगे के सत्रों में सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म यथा–फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, वाट्सऐप, यूट्यूब, पोस्टर मेकिंग, विडियो एडिटिंग, विमर्श निर्माण एवं आर्टिफिशल इंटेलिजेंस पर अलग–अलग प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन हुआ, जिसमें सम्बन्धित विषयों के एक्सपर्ट द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। देशभर से आये हुए प्रतिभगियों ने बड़े उत्साह से सभी सत्रों में भाग लिया। परस्पर संवाद के माध्यम से अपनी जिज्ञासा भी प्रकट किया और समाधान प्राप्त किया।

23 नवम्बर को दोपहर भोजन पूर्व वर्ग का समापन हुआ। समापन सत्र में पूज्य सुधांशु महाराज के साथ मंच पर विश्व हिन्दू परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष मा. आलोक जी मंचासीन हुए। पहले समापन सत्र को श्रीमान आलोक जी ने सम्बोधित किया, उन्होंने बताया कि हमारे खिलाफ झूठ के आधार पर भ्रम फैलाया जाता है, कठुआ का उदाहरण देते हुए कहा कि झूठ फैलाया गया था कि मन्दिर के पुरोहित ने मन्दिर के तहखाने में मृत बच्ची का बलात्कार किया, लेकिन जब हमारी टीम वहाँ पहुँची, तो मन्दिर में तहखाना था ही नहीं। लेकिन हम लेट हो गए थे, तबतक दुष्प्रचार बहुत हो गया था, बहुत नुकसान हो चुका था। दुष्प्रचार का समय से उत्तर जाना भी महत्वपूर्ण होता है। राहुल गाँधी अमेरिका में जाकर प्रेस मिट करते हैं, भारत में सरदार को पगड़ी पहनने की अनुमति मिलेगी कि नहीं, जबकि भारत में ऐसी कोई बात ही नहीं थी। नैरेटिव बनाया गया, खालिस्तानियों ने राहुल को सही ठहराया। बंगाल में घुसपैठियों को पहचानो, निकालो, पुलिस ने हटाना शुरू किया, चुनाव पास होने से ममता कह रही है कि बाँग्लाभाषियों को तंग किया जा रहा है। आजकल पढ़े–लिखे लोगों द्वारा आतंकवाद, जिहादी लोगों द्वारा आतंकवाद फैलाया जा रहा है।

पुज्य सुधांशु जी महाराज ने कहा कि आजकल पुरूष नाक में नथ, महिला जिंस फाड़कर पहन रही है। आजकल धार्मिक मनोरंजन आध्यात्म हो गया, जगाने वाले सुला गए। मुसलमान हज में पत्थर मारते हैं, गली में भी पत्थर मारते हैं। ईसाईयों का खुदा 14 वें आसमान पर, मजहब में अकल का दखल नहीं है। भारत धर्मशाला बन गया, यहाँ संस्कार धर्म ग्रन्थों के कारण है। उसके आधार पर जीवनशैली है।

गुरु तेग बहादुर जी बलिदान दिवस पर संवाद कार्यक्रम

थलतेज (गुजरात)। गुरु तेग बहादुर जी भारत की आध्यात्मिक परंपरा, धार्मिक स्वतंत्रता और मानवीय मूल्यों के अटल रक्षक हैं। अत्याचार, दमन और अन्याय के विरुद्ध उनके अद्भुत साहस, त्याग और अमर बलिदान ने राष्ट्र को सदियों से प्रेरित किया है। उनका जीवन सत्य, करुणा, निडरता और धर्म–रक्षा के दिव्य आदर्शों का प्रकाश पुंज है। उनके बलिदान दिवस के पावन अवसर पर विश्व हिंदू परिषद कर्णावती महानगर द्वारा थलतेज स्थित पवित्र गुरुद्वारा गोविंद धाम में संवाद कार्यक्रम का आयोजन सम्पन्न हुआ।

कार्यक्रम में विहिप के केंद्रीय सह संगठन महामंत्री श्री विनायकराव देशपांडे ने गुरु तेग बहादुर जी के जीवन, शिक्षाओं और बलिदान की गहराई पर अत्यंत प्रेरक एवं ज्ञानवर्धक मार्गदर्शन प्रदान किया। उनका उद्बोधन इतना जीवंत, हृदयस्पर्शी और प्रखर था कि उपस्थित जनमानस को ऐसा प्रतीत हुआ, मानो वे उस

ऐतिहासिक क्षण को प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हों। सिख समाज के आदरणीय सदस्यों तथा गुरुद्वारा कमिटी के पदाधिकारियों ने गुरु तेग बहादुर जी की गौरवमयी परंपरा और राष्ट्र–सेवा के योगदान का स्मरण कर कार्यक्रम की आध्यात्मिक गरिमा को और भी बढ़ाया।

प्रस्तुतकर्ता : श्री जिमित शाह

'धर्मनगरी में संध्या कालीन आरती में विश्व हिन्दू परिषद ने भाग लिया'

धर्मानगरी कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती कार्यक्रम के दौरान आज सायंकालीन ब्रह्म सरोवर आरती में विश्व हिंदू परिषद की प्रांत सह मंत्री बहन अनीता मान व विभाग संगठन मंत्री मान्यवर कुलदीप जी व विश्व हिन्दू परिषद की जिला कुरुक्षेत्र की इकाई के साथ भाग लिया।

कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की ओर से बहन अनिता मान व संगठन मंत्री कुलदीप जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया, साथ ही विश्व हिंदू परिषद की प्रांत सह मंत्री बहन अनीता मान ने गीता जयंती में चल रहे संस्कृत व धार्मिक कार्यक्रमों का भी अवलोकन किया। आज की संध्याकालीन आरती में उनके साथ विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष अजय गुप्ता, जिला मंत्री राजेंद्र सैनी, जिला प्रचारक व प्रसार प्रमुख राजेश अरोड़ा, बजरंग दल संयोजक रोहतास सैनी, विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ता कली राम मथाना, बाबू राम शुक्ला व अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे।

— राजेश अरोड़ा
जिला प्रचार व
प्रसार प्रमुख–विहिप, कुरुक्षेत्र

विहिप उत्तराखण्ड के सेवा विभाग द्वारा आयोजित सेवा कुंभ का समापन कार्यक्रम

बहादराबाद (हरिद्वार), 16 नवम्बर 2025। अशोक सिंघल सेवाधाम, वात्सल्य वाटिका, बहादराबाद, हरिद्वार में विश्व हिन्दू परिषद उत्तराखण्ड के सेवा विभाग द्वारा संचालित व्यापक सेवा कार्यों के अंतर्गत आयोजित भव्य सेवा कुंभ का समापन आज संत–महात्माओं एवं विशिष्ट अतिथियों के पावन सान्निध्य में पूर्ण विधि–विधान के साथ सम्पन्न हुआ। यह सेवा कुंभ केवल एक कार्यक्रम नहीं वरन समाज के सर्वांगीण उत्थान तथा राष्ट्र–निर्माण के संकल्प का सशक्त उद्घोष बनकर सामने आया। विहिप के सेवा विभाग द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलम्बन, सँस्कार एवं समरसता के क्षेत्र में चलाए जा रहे कार्यक्रमों ने हजारों परिवारों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की आधारशिला रखी है। समाज के अभावग्रस्त, पिछड़े व उपेक्षित वर्गों तक सेवा पहुँचाकर विहिप ने यह सिद्ध किया है कि सेवा मात्र तात्कालिक समाधान नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर और सक्षम समाज की संरचना है। सेवा कुंभ में हरिद्वार सांसद श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि विश्व हिन्दू परिषद जिन संस्कार–दीपों को प्रज्वलित कर समाज के अंधकार को दूर कर रही है, वह केवल सेवा–कार्य नहीं, बल्कि भारत के भविष्य का आधार तैयार करने वाला राष्ट्रीय आन्दोलन है। उत्तराखण्ड में सेवा कार्यों की यह गति आने वाले वर्षों में समाज–परिवर्तन की निर्णायक धुरी बनेगी।

श्री आनंद हरबोला विहिप केंद्रीय सहमंत्री एवं केंद्रीय सह–सेवा प्रमुख, विश्व हिन्दू परिषद ने अपने विचार रखते हुए कहा कि विश्व हिन्दू परिषद का सेवा मॉडल उत्तराखण्ड में नहीं, पूरे राष्ट्र के लिए अनुकरणीय है। सेवा कुंभ समाज में सजगता, संवेदना और संगठन की शक्ति को बढ़ाता है। हमारा उद्देश्य सबल समाज, सँस्कारित समाज और समरस राष्ट्र यथार्थ रूप में साकार हो रहा है।

श्री अजय कुमार–प्रांत संगठन मंत्री–विश्व हिन्दू परिषद उत्तराखण्ड, ने कहा कि सेवा कुंभ समाज–सेवकों के लिए ऊर्जा, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन का जीवंत मंच है। विहिप आत्मनिर्भरता और स्वावलम्बन आधारित समाज की स्थापना की दिशा में सतत कार्य कर रही है। हमारे प्रशिक्षण केंद्र और स्वावलम्बन परियोजनाएँ हजारों जीवन का भविष्य बदल रही हैं। सिमरनजीत कौर, न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार ने परिषद के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि विहिप के सेवा कार्य न केवल समाज को सशक्त कर रहे हैं, बल्कि विधिक जागरूकता एवं समाजिक न्याय जैसे संवेदनशील विषयों में भी सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं। सेवा विभाग का यह योगदान समाज को सुरक्षित, शिक्षित एवं जागरूक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

परमपूज्य गंगादास जी महाराज ने आशीर्वचन देते हुए कहा कि सेवा परम् धर्म है। विश्व हिन्दू परिषद का यह सेवा कुंभ देवभूमि उत्तराखण्ड की उदात्त परंपरा को आगे बढ़ाने वाला आध्यात्मिक और सामाजिक संगम है। जहाँ सेवा और सँस्कार मिलते हैं, वहीं राष्ट्र का निर्माण होता है। विहिप का यह कार्य मानवता की सच्ची साधना है।

विश्व हिन्दू परिषद उत्तराखण्ड के सेवा विभाग द्वारा आयोजित सेवा कुंभ के समापन अवसर पर प्रमुख रुप से राधेश्याम द्विवेदी क्षेत्र सेवा प्रमुख, रविदेव आनंद प्रांत अध्यक्ष विश्व हिन्दू परिषद उत्तराखण्ड, भारत गगन अग्रवाल विश्व हिन्दू परिषद, प्रदीप मिश्रा प्रबंधक वात्सल्य वाटिका, अनिल भारतीय प्रांत सेवा प्रमुख, बलराम कपूर जिला अध्यक्ष विहिप हरिद्वार, संजीव गुप्ता प्रमुख उद्योगपति, दीपक धीमान, संजीव धीमान, दीपक तालियान आदि के साथ अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

pankajvhpharidwar108@gmail.com

हिंदू समाज के हृदय में सेवा भाव : स्वपन कुमार मुखर्जी'
'दो दिवसीय सेवा कुंभ २०२५ समारोह को मिला उत्तम प्रतिसाद'

पुणे (महा.), 17 नवंबर 2025। हिंदू समाज के हृदय में सेवा भाव होता है, क्योंकि जन्म से ही परिवार में विविध सेवा के सँस्कार अप्रत्यक्ष रूप से बच्चों पर किये जाते हैं। ऐसे विचार विश्व हिंदू परिषद केंद्रीय सहमंत्री तथा केंद्रीय सहसेवा प्रमुख स्वप्न कुमार मुखर्जी ने न्यू इंग्लिश स्कूल, रमणबाग, शनिवार पेठ पुणे में दिनांक 16 नवंबर 2025 को व्यक्त किया। विश्व हिंदू परिषद पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत की ओर से आयोजित किये गये दो दिवसीय सेवा कुंभ 2025 के समारोह के समारोप सत्र में प्रमुख व्याख्याता के रूप में स्वप्न कुमार मुखर्जी ने अपने विचार व्यक्त किये। ज्येष्ठ सिने अभिनेता प्रवीण तरडे, मुंबई क्षेत्र सहमंत्री प्रा. अनंत पांडे, विश्व हिंदू परिषद प्रांत उपाध्यक्षा माधवी सौंशी, प्रांत मंत्री किशोर चव्हाण, प्रांत सहमंत्री एड. सतीश गोरडे, कोषाध्यक्ष कृष्णकुमार चांडक, सेवाप्रमुख एड. श्याम घरोटे, निर्माण व्यवसायिक मदन ठोंबरे, नितीन जाधव, निषिद शाह इत्यादि मान्यवर रंगमंच पर उपस्थित थे।

स्वप्न कुमार मुखर्जी आगे कहते हैं कि विश्व के 80 देशों में विश्व हिंदू परिषद नामक सेवाभावी संगठन कार्यरत है। हिंदू समाज और सँस्कृति संपूर्ण जगत में उन्नत हो, संपूर्ण विश्व को ज्ञान देने का काम हिंदुओं को करना चाहिए, यह संगठन का प्रमुख हेतु है। प्रयागराज में संपन्न हुए महाकुंभ मेले में 60 करोड़ से भी अधिक भाविक इकट्ठे हुए थे और उनमें से एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहा, यह हिंदू समाज के सेवा भाव का सर्वोत्तम उदाहरण है। हमारी ही उपेक्षा के कारण धर्मांतरित हुए दुर्गम भाग के हिंदू भाइयों को अपने में सम्मिलित करके उसे तलछट में गए हिंदू समाज तक यह सेवाभाव पहुँचाना चाहिए। इसके लिए तन, मन, धन अर्पण करके हमें विश्व हिंदू परिषद के इस कार्य में सम्मिलित होना चाहिए। प्रवीण तरडे ने कहा कि 'वसुधैव कुटुंबकम' यह तत्व हिंदू धर्म मानता है। हिंदू धर्म में हमारा जन्म हुआ यह हमारा परम सौभाग्य है । इसी वजह से हिंदू धर्म के आचार–विचार, सँस्कृति सभी तक पहुँचाना यह हमारा परम कर्तव्य है। इसके लिए जात–पात की दीवारें तोड़कर एकत्र आना चाहिए, प्रत्येक हिंदू की सुरक्षा ही हमारी जिम्मेदारी है। 'जहाँ धर्म वहाँ जय' यह विचार सदैव ध्यान में रखकर आप जिस क्षेत्र में कार्यरत हों, उस क्षेत्र में हिंदू धर्म के लिए कार्यरत रहें, ऐसा आवाहन उन्होंने किया।

श्रीराम, जानकी, लक्ष्मण और हनुमान इनका पूजन करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। किशोर चव्हाण ने कहा कि प्रति 5 वर्ष में भिन्न–भिन्न प्रांतों में सेवाकुंभ का आयोजन किया जाता है। इस उपलक्ष में मान्यवरों के हाथों स्मारिका का प्रकाशन किया गया। इस प्रकार साहित्य, सँस्कृति, कला, क्रीडा में निपुणता प्राप्त विविध छात्रावासों के छात्रों को गौरव चिह्न प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया गया। पश्चिम महाराष्ट्र के नासिक, पुणे, कोल्हापुर, सोलापुर और अहिल्यानगर इन विभागों से सेवा कुंभ में सहभागी हुए प्रकल्प के और छात्रावास के जनजातीय छात्रों ने बनाए हुए विविध वस्तुओं की प्रदर्शनी कार्यक्रम स्थल पर लगाई गई थी। कार्यक्रम का सूत्रसंचालन स्नेहा पाटिल और डॉक्टर शर्वरी यरगट्टीकर ने किया। संयोजन दिलीप देशपांडे, प्रशांत कुलकर्णी, दिनेश लाड, विजय देशपांडे, कीर्तिश जोशी, ज्ञानेश्वर इंगळे, संजय गोडबोले ने किया। कार्यक्रम के पश्चात सहभागी छात्रावास के छात्रों ने विविध सँस्कृति, कलाओं के प्रस्तुतीकरण से उपस्थितों का मनोरंजन और प्रबोधन किया।

sanjaypgodbole@yahoo.com

आतंक के सरगना बनने की होड़ लगी है मदनियों में सर्वोच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान ले : डॉ. सुरेन्द्र जैन

नई दिल्ली, 30 नवंबर, 2025। कल भोपाल में जमीयत प्रमुख मौलाना मदनी द्वारा दिए गए कट्टरपंथी वक्तव्य की विश्व हिंदू परिषद ने कड़े शब्दों में निंदा करते हुए उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की मांग की है। अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विहिप के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉ. सुरेन्द्र जैन ने आज कहा कि बड़े मदनी हों या छोटे मदनी, दोनों में मुस्लिम समाज को भड़काने की होड़ लगी है। दोनों जुटे हैं कि कौन पहले लादेन या बगदादी बनता है।

उन्होंने कहा कि चांदनी चौक में जिस प्रकार का बम विस्फोट किया गया, पूरे देश में आतंकवादी घटनाएँ करने की तैयारी चल रही थी। एक पूरी यूनिवर्सिटी को जिस प्रकार से आतंकवादियों का अड्डा बना दिया गया था, केवल मदरसों में पढ़े हुए नहीं, सरकारी कॉलेज में पढ़े हुए डॉक्टर भी इस आतंकवादी गिरोह के सरगना बनकर खड़े हो गए।

क्या इनको किसी भी तरीके से कोई डिफेंड कर सकता है? उनको डिफेंड करने के साथ–साथ ये दोनों मौलाना इस होड़ में लगे हैं कि भारतीय संविधान, न्यायपालिका, प्रशासन, हिंदू समाज और देश की समस्त व्यवस्थाओं के खिलाफ मुस्लिम समाज को कैसे भड़काया जा सके ?

डॉ. जैन ने कहा कि क्या ये मौलाना नहीं जानते कि कहीं रोटियों पर थूक लगाया जा रहा है, कहीं लव जिहाद के नाम पर हिन्दू बहनों से बलात्कार कर उनके टुकड़े किए जा रहे हैं। कल ही एक मामले में कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया है। ऐसे सब मामलों पर पर्दा डालने के लिए ही शायद इन्होंने मुस्लिम समाज को भड़काने का यह मार्ग अपनाया है।

उन्होंने चेताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विरोध में जिस प्रकार का वक्तव्य इन्होंने दिया है, वह घोर आपत्तिजनक है। कब तक बाबरी मस्जिद का रोना रोते रहोगे? यह ध्यान कर लेना कि बाबर और बाबरी के नाम पर कोई अवशेष अब भारत की जनता स्वीकार नहीं करेगी। मुस्लिम समाज का बाबर से क्या लेना देना ? उस विदेशी दुष्ट के नाम पर आप बार–बार मुस्लिम समाज को भड़काना चाहते हैं ? चाहे वक्फ बोर्ड का मामला हो या ट्रिपल तलाक का, सब देश हित में उठाए गए संसदीय कदम ही तो हैं। वक्फ बोर्ड और हलाल सर्टिफिकेशन के ऊपर जो पूरे देश में वातावरण बन रहा है और उसके नाम पर तुमने जो लूट मचा रखी थी, वह सामने आ गई तो बौखला गए ? उस पैसे का उपयोग आतंकवादियों का केस लड़ने, हिंदुओं पर हमला करने वाले लोगों की सुरक्षा और उनको बचाने के लिए कर रहे थे। इसी की परेशानी है आपको? ये भाषण घोर आपत्तिजनक और देश के विरुद्ध खुली बगावत का ऐलान है, जिसको कदापि स्वीकार नहीं किया जा सकता।

मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अपील करूँगा कि स्वतः संज्ञान लें और इन राष्ट्रविरोधी वक्तव्यों के ऊपर लगाम लगाएँ और इन लोगों को इनकी सही जगह बताएँ। हम इनके भाषणों का अध्ययन करेंगे, जो कानूनी कार्यवाही करनी है, वह भी करेंगे, लेकिन ध्यान कर लेना कि तुम मुस्लिम समाज को बर्बादी की ओर ले जा रहे हो। किसी भी प्रकार से इस बगावत को सहन नहीं किया जाएगा। हर स्तर पर इसका मुकाबला किया जाएगा।

जयपुर प्रांत में तीन दिवसीय धर्मरक्षक परिचय वर्ग का आयोजन

संघ कार्यालय अलवर में विश्व हिंदू परिषद धर्मप्रसार धर्मरक्षकों के सम्पन्न हुए तीन दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग के समापन समारोह में धर्मप्रसार क्षेत्र प्रमुख कैलाश जायसवाल ने कार्यकर्ताओं को अपने क्षेत्र में प्रमाणिकता से कार्य करने एवं विहिप के मूल उद्देश्यों को जन–जन तक पहुँचाने का आह्वान किया।

प्रांत धर्मप्रसार प्रमुख सी. एम. भार्गव ने उपस्थित धर्मरक्षकों को अपने क्षेत्र के सभी मंदिरों के वार्षिक उत्सव मनाने एवं वहाँ सेवा कार्य प्रारंभ करने का सुझाव दिया। कार्यक्रम प्रांत धर्मप्रसार टोली सदस्य सिद्धार्थ शर्मा के सान्निध्य एवं जिला प्रमुख प्रमोद एकदाया की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। वर्ग का शुभारंभ विहिप धर्मप्रसार प्रांत प्रमुख सी एम भार्गव, सह प्रमुख बहादुर सिंह एवं प्रेमसिंह राजावत ने भारत माता, स्वामी श्रद्धानंद एवं स्वामी लक्ष्मणानन्द के चित्रों के समक्ष दीप प्रज्जवलन कर किया। अभ्यास वर्ग के दूसरे दिन विहिप केंद्रीय सह मंत्री एवं धर्मप्रसार अखिल भारतीय सह प्रमुख आनंद प्रकाश गोयल ने कार्यकर्ता के गुण एवं कार्य करने की पद्धति के बारे में बताया।

उद्घाटन सत्र के प्रारंभ में प्रांत टोली सदस्य सिद्धार्थ शर्मा एवं जिला प्रमुख प्रमोद एकदाया ने अतिथियों को अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत किया। प्रशिक्षण वर्ग में परियोजना प्रमुख बनवारीलाल शर्मा ने धर्मप्रसार परियोजना के बारे में बताया।

प्रस्तुति : सिद्धार्थ शर्मा
धर्मप्रसार प्रांत टोली सदस्य

बहादराबाद-हरिद्वार में विहिप सेवा विभाग द्वारा आयोजित सेवा कुंभ के समापन कार्यक्रम में उपस्थित विहिप केन्द्रीय सहमंत्री श्री आनंद हरबोला, प्रांत अध्यक्ष श्री रविदेव आनंद एवं सेवा विभाग व विहिप के प्रांतीय पदाधिकारीगण

आगरा में बजरंग दल द्वारा 'नशा मुक्त युवा, विकसित भारत' के तहत आयोजित 'रन फॉर हेल्थ मैराथन' का पताका लहराकर शुभारंभ करते बजरंग दल के रा. संयोजक नीरज दौनेरिया तथा मैराथन के लिए तैयार छात्र एवं छात्राएँ

जयपुर प्रांत में आयोजित तीन दिवसीय धर्मरक्षक परिचय वर्ग में उपस्थित विहिप केन्द्रीय सहमंत्री व अ.भा. सह धर्मप्रसार प्रमुख श्री आनंदप्रकाश गोयल जी

'धर्मनगरी कुरुक्षेत्र-हरियाणा में संध्याकालीन आरती में विश्व हिन्दू परिषद के प्रांतीय पदाधिकारियों ने भाग लिया'

हिंदू हेरिटेज सेंटर रोटोरुआ न्यूजीलैण्ड में 22 नवंबर 2025 को आयोजित हुआ धर्मफेस्ट कार्यक्रम

"LPC DELHI, DELHI PSO, DELHI RMS, DELHI-6
email:hinduvishwa@gmail.com
website: www.vhp.org

Postal Regd. No. DL-SW-01/4031/24-26
समाचार पत्र पंजी. सं. 68516/98
प्रकाशन तिथि : 13.12.2025
प्रेषण तिथि : 14-15 (अग्रिम-पाक्षिक)

राजस्थान सरकार

डबल इंजन सरकार में किसानों का सम्मान

₹1,24,000 करोड़ की मिली सहायता

श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

किसान सम्मान निधि योजना

76.18 लाख किसान लाभान्वित

₹9127 करोड़ किसानों के खातों में

20.35 लाख नए पंजीकृत किसान

बिजली के बिलों में **₹41,052 करोड़** किसानों को अनुदान

कृषि कनेक्शन 1.78 लाख से अधिक

राजस्थान कृषक समर्थन योजना

₹472 करोड़
2.67 लाख किसानों को गेहूं के समर्थन मूल्य पर बोनस

नहरी क्षेत्र में

58,000 हैक्टेयर फव्वारा सिंचाई स्थापित

सिंचाई और आधुनिक खेती

₹9,512 करोड़
84,029 हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा

फसल ख़राबा (खरीफ 2025) में राहत

24 ज़िलों के **14,687 गांव** अब तक अभाव ग्रस्त घोषित
44.80 लाख किसानों को मिलेगा कृषि आदान अनुदान

आपदा राहत में किसानों को कृषि आदान अनुदान

₹ 1947 करोड़
18.20 लाख किसान

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना

10.56 लाख पॉलिसी
20.30 लाख पशुओं का पंजीकरण
8.95 लाख पशुपालक लाभान्वित

पीएम कुसुम कॉम्पोनेन्ट - बी
50,090 सोलर पम्प सेट की स्थापना
₹733 करोड़ अनुदान

शून्य ब्याज पर ऋण सुविधा
गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना — **₹515 करोड़**
अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण — **₹43,036 करोड़**

रियायती ब्याज दर
₹321 करोड़ का दीर्घकालीन सहकारी ऋण

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
₹5,965 करोड़ बीमा क्लेम वितरित

दलहन एवं तिलहन खरीद
5 लाख किसान लाभान्वित
₹8,191 करोड़ किसानों के खातों में

डिग्गी एवं फार्म पोण्ड
43,271 का निर्माण
₹350 करोड़ अनुदान

कृषि यंत्र (97,192)
₹546 करोड़ अनुदान

ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर एवं स्प्रिंकलर
2.13 लाख किसान लाभान्वित
₹967 करोड़ अनुदान

खेतों पर तारबंदी (27,960 किमी.)
₹314 करोड़ अनुदान

ग्रीन एवं शेडनेट हाउस (42.56 लाख वर्गमीटर)
₹183.83 करोड़ अनुदान

मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना
₹832 करोड़ हस्तांतरित

दो वर्ष की उपलब्धि - किसान की बढ़ी समृद्धि

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान

राजस्थान संवाद

प्रकाशक व मुद्रक हरिशंकर द्वारा सचिव, साहित्य एवं दृक्श्राव्य सेवा न्यास की ओर से 'रॉयल प्रेस' बी-82, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेस-1, नई दिल्ली-110020 से छपवाकर संकटमोचन आश्रम, सेक्टर-6, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली-22 से प्रकाशित। सम्पादक : विजय शंकर तिवारी